खण्ड-117, अंक-3
बुधवार, 17 पौष, शक संवत् 1874
(7 जनवरी, 1953 ई0)

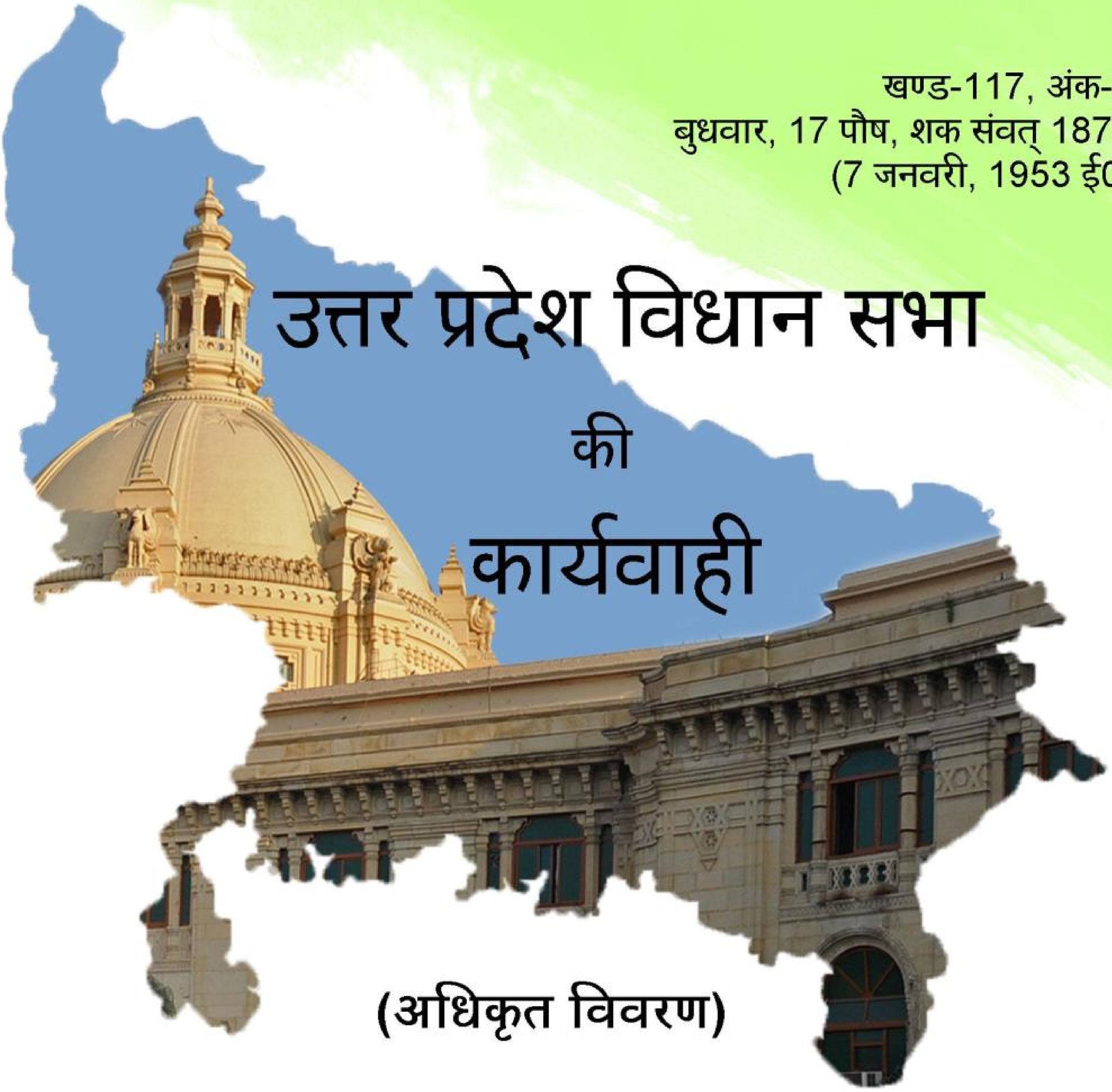

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 117 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बुद्धवार, ७ जनवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

### उपस्थित सदस्यों की सूची (३४४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेस, श्री
बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
गवान सहाय, श्री
सेन, श्री
भै, श्री
भूपा ह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम शुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह, कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशी दास धनगर, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री

विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अनसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द अष्ठाना, श्री
हरिश्चद्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

उद्योग मंत्री श्री हुकुम सिंह भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

### आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी की मोटर

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन Improvement Trust के सेक्रेटरियों को सरकार की आज्ञा से मोटरें दी गई हैं?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी को सरकार की आज्ञा से मोटर नहीं दी गई है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह सही है कि ट्रस्ट के इंजीनियर को अलग से भत्ता दिया जाता है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस चाहिये।

*२—श्री नेकराम शर्मा—आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी को जो मोटर दी गयी है उसका मूल्य क्या है?

श्री मोहनलाल गौतम—आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी को कोई मोटर नहीं दी गई है। आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ट्रस्ट के अफसरों व मेम्बरों द्वारा भूमि के निरीक्षण के हेतु ३१ अक्तूबर, १९४९ को एक स्टूडेबेकर पिक अप ८,४८१ रू० ८ आने में क्रय किया। ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी ट्रस्ट के कार्य के लिये इस मोटर का प्रयोग करते हैं। उनको ट्रस्ट से कोई वाहन भत्ता नहीं मिलता है।

### बनारसी बाग, लखनऊ की चहार दीवारी

*३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जूलोजिकल गार्डेन्स के जानवरों को बाहर के जानवरों से नुकसान पहुचने की कितनी बार शिकायत १९५१ से अब तक आयी है?

अन्नमंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—यह घटनायें दिन प्रतिदिन की हैं। प्रायः कुत्ते यहां के घेरों के भीतर घुस जाते हैं और यहां के जन्तु जैसे हिरन ऊष्ट्र पक्षी इत्यादि को हानि पहुंचाते हैं प्रायः लोग मृत जन्तु यहां हाते के भीतर छोड़ जाते हैं जिनकी सड़ी लाश से हर तरह के रोग और बीमारियां फैलने का भय रहता है। ऐसी दुर्घटनाओं का कोई अंकित हिसाब नहीं है।

*४—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जूलोजिकल गार्डेन्स की बाहर की लगी हुई लोहे की रेलिंग जो अब हटाकर दीवार बनायी जा रही है वह ठेकेदार को (दीवार बनाने वाले) दीवाल बनाने की कीमत के अलावा दी जायगी?

श्री बनारसी दास—कोई खर्चा एक लाख चार हजार के अतिरिक्त ठेकेदार को नहीं दिया जावेगा। रेलिंग के उखड़वाई और लगाई इत्यादि का सब खर्चा इसी एक लाख चार हजार में सम्मिलिति है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का इरादा है कि जूलोजिकल गार्डेन, लखनऊ को म्युनिसिपल बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जाय?

श्री बनारसी दास—नहीं इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि यहां इस दीवार और रेलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी ?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर के अन्दर पहले ही बतलाया जा चुका है कि वहां बाहर के जानवर घुस जाते थे और हानि पहुंचाते थे। इस वजह से वहां पर दीवारें ऊंची की गईं और रेलिंग्स भी लगाई जा रही है।

*५—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार का इरादा जूलोजिकल गार्डेन के अन्दर जाने के लिये कोई टिकट लगाने का है ?

श्री बनारसी दास—अभी तक यहां टिकट लगाने का कोई चर्चा सरकार की ओर से नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे सरकार नहीं तो, क्या और अन्य संस्थायें लखनऊ की जूलोजिकल गार्डेन में फीस लगाने का इरादा रखती है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

## सहारनपुर नगरपालिका द्वारा वाटर वर्क्स के लिये ऋण की मांग

*६—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सहारनपुर नगर पालिका ने वाटर वर्क्स तथा गन्दे नाले के निर्माण के लिये कोई अनुदान या लोन सरकार से मांगा है ? वह राशि कितनी है और कब तक दी जावेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। सहारनपुर नगरपालिका ने वाटर वर्क्स के लिये ३९,३२,००० रूपये का ऋण मांगा है। परन्तु गन्दे नाले के निर्माण के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है। यदि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक समझी गई और उसमें ऋण भुगताने की क्षमता पाई गई तो वाटरवर्क्स के लिये ऋण का कुछ अंश उसे संभवतः इसी वित्तीय वर्ष में दिया जा सकेगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रार्थना पत्र कितने वर्ष पहले आया था।

श्री मोहनलाल गौतम—मेरे जमाने से पहले आया था।

## लंढौर, जिला सहारनपुर को टाउन एरिया बनाने का मांग

*७—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार लंढौर को टाउन एरिया बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

## सुल्तानपुर कुनहारी, जिला सहारनपुर को टाउन एरिया बनाने की अवश्यकता

*८—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार आबादी तथा रक़बे को देखते हुये लकसर के निकटवर्ती सुल्तानपुर कुनहारी को टाउन एरिया बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। स्थानीय निकायों में आगामी आम चुनाव समाप्त होने तक सरकार ने नई टाउन एरिया कमेटियों की स्थापना के प्रश्नों के ऊपर विचार स्थगित कर दिया है।

## आजमगढ़ जिले के अस्पतालों का प्रबंध

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त कौन कौन अस्पताल हैं?

श्री बनारसी दास—यह सूचना सम्बद्ध तालिका में दी गयी है।

( देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१२–२१५पर )

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलायेंगे कि उन अस्पतालों को मुफ्त दवाई बांटने के लिये प्रति वर्ष कितनी रक़म दी जाती है और प्रतिवर्ष कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में कुल कितना व्यय होता है?

श्री बनारसी दास—यह सूचना सम्बद्ध तालिका में दी गयी है।

( देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१२–२१५ पर )

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बता सकते हैं कि सदर अस्पताल आजमगढ़ को जो सहायता दवाई और सामान के लिये दी जाती है उसके लिये जनता की मांग ज्यादा की है?

श्री बनारसी दास—यह तो प्रायः प्रान्त के हर अस्पताल की मांग है कि वहां पर ज्यादा होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वस्थ्य मंत्री जी को यह पता है कि सदर अस्पताल आजमगढ़ में एक्सरे नहीं है?

श्री बनारसी दास—पता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बता सकते हैं कि आजमगढ़ जिला बोर्ड द्वारा संचालित घोशी अस्पताल के ८ मील पूर्व तत्पासेमरी जमालपुर में कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सरकार का विचार है?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलायेंगे कि मधुवन थाना, और परगना नत्थूपुर में कोई अस्पताल नहीं है? क्या वहां पर अस्पताल खोलने का प्रश्न सरकारके विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास—मधुबन में अभी कोई अस्पताल नहीं है। वहां पर अस्पताल खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। सम्भव है कि अगले साल यहां पर एक अस्पताल भवन सहित खुल जावेगा।

*१२—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[सदस्य महोदय की प्रार्थना पर अतारांकित किया गया।]

## जिला टेहरी गढ़वाल के पुरोला चिकित्सालय का प्रबन्ध

*१३—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या यह सच है कि टेहरी गढ़वाल जिले में पुरोला चिकित्सालय में पिछले दो साल से कोई औषधियां तथा यंत्र नहीं भेजे गये और इमारत भी नहीं बनायी गयी है?

श्री बनारसी दास—वास्तव में पुरोला में अभी कोई अस्पताल नहीं है। क्योंकि अस्पताल और डाक्टर के लिये कोई भवन नहीं है। उसके लिये अगले साल के बजट में रुपया रखने का प्रयत्न हो रहा है। एक पटवारी के क्वार्टर में एक कम्पाउन्डर की देख रेख में एक दवा वितरण केंद्र चल रहा है और वहां कुछ ऐसी औषधियां जो कम्पाउन्डर के द्वारा दी जा सकती हैं रक्खी जाती हैं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जो कुछ औषधियां कम्पाउन्डर के द्वारा दी जाती हैं वह भी वहां पर नहीं भेजी गईं और अगर भेजी गई तो कब भेजी गई हैं?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर में बताया जा चुका है कि दवाइयां कम्पाउन्डर द्वारा वितरण की जाती है और वह वहां पर भेजी गई हैं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि दवा-इयां वहां पर क्या इस साल भेजी गई हैं?

श्री बनारसी दास—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अस्पताल में डाक्टर के लिये भवन नहीं बनाया गया है?

श्री बनारसी दास—यह तो बताया जा चुका है कि चूंकि वहां पर भवन नहीं है और पटवारी के भवन में दवाई के वितरण का प्रबंध है। नये बजट में इस बात का प्रबंध किया जा रहा है कि वहां पर भवन निर्माण किया जाय। जब नये भवन का निर्माण हो जायगा तब वहां पर डाक्टर का प्रबंध किया जायगा।

## इटावा ज़िले के सहायल ग्राम में अस्पताल के लिये भवन निर्माण

*श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के सहायल ग्राम में अस्पताल के लिये जो भवन निर्माण किया गया है उसमें कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितना रुपया व्यय किया जावेगा?

श्री बनारसी दास—मार्च, सन् १९५२ तक ३१,१४६ रुपया व्यय हो चुका है और ७,५३४ रु० और व्यय होगा।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य किस सन् में शुरू किया गया था और अब वह कब से बन्द पड़ा है?

श्री बनारसी दास—इस इमारत के बनने का कार्य सन् ४८ में शुरू हुआ था?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर अभी नहीं हुआ।

श्री बनारसी दास—इसके संबंध में पहले ही उत्तर हो चुका है कि इस समय अस्पताल किराये के मकान में चल रहा है, भवन का निर्माण जैसा कि मैंने कहा सन् ४८ में शुरू हुआ था तो यह तो जाहिर ही है कि अभी औषधालय वहां नहीं जा सका है।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि अस्पताल के भवन के निर्माण के हेतु जो मैटिरियल वहां पड़ा था उसकी रक्षा के लिये अब तक जो चौकीदार रखा गया है उसके ऊपर कितना व्यय हो चुका है ?

श्री बनारसीदास —वह तो पहले ही चौदहवें सवाल के उत्तर में बता दिया है कि कुल ३१,१४६ रुपया अब तक खर्च हुआ है और भवन के काम को पूरा करने के लिये ७,५३४ रुपये की और जरुरत है और वह अब बन रहा है और आदेश दे दिये गये हैं और आशा की जाती है कि इमारत ३१ मार्च, सन् ५३ तक बन कर पूरी हो जायगी।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी कोई सूचना मिली है कि जो मेटीरियल वहां पडा था उसमें से कुछ चोरी भी गया है ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

*१५—श्री मिहरबान सिंह—क्या यह सही है कि ४ साल से अस्पताल की इमारत बेकार पड़ी हुई है और अस्पताल का कार्य एक किराये के भवन में हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—चिकित्सालय का कार्य किराये के भवन में हो रहा है क्यों कि अभी भवन पूरा नहीं बन पाया है।

*१६—श्री मिहरबान सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह इमारत अस्पताल के योग्य कब तक हो जावेगी ?

श्री बनारसी दास—उपरोक्त चिकित्सालय की इमारत इस साल के अन्त तक अवश्य बन जायेगी।

## सरकार की खाद्य नीति

*१७—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वार्षिक कितना खाद्यान्न बाहर से मंगाया गया और अगले वर्ष के लिये सरकार को बाहर से कितने अन्न की आवश्यकता होगी ?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—बाहर से मंगाया हुआ वार्षिक खाद्यान्न:

| | |
|---|---|
| सन् १९५० ई० में | १,७३,६४१ टन |
| सन् १९५१ ई० में | २,६९,६११ टन |
| सन् १९५२ ई० में (नवम्बर ३०, तक) | ३,३३,३६२ टन |

इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि अगले वर्ष इस राज्य सरकार को बाहर से कितने अन्न की आवश्यकता होगी। यह सब भविष्य में होने वाली भारत सरकार की खाद्य नीति पर निर्भर है। निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन करने जा रही है जिसमे आगामी वर्ष के लिये खाद्य नीति तय की जायेगी। इसके पश्चात् ही यह अन्दाज किया जा सकता है कि सन् १९५३ में इस प्रदेश में बाहर से कितने अन्न की आवश्यकता होगी।

श्री रमेश वर्मा—सन् ५२ में बाहर के अन्न की सब से अधिक मात्रा आई और इसी साल में राशन में सब से अधिक कमी हुई, क्या इसका कारण माननीय अन्न मंत्री जी बतावेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह तो स्पष्ट ही है कि हमारे प्रदेश में किन्हीं स्थानों में अधिक वर्षा और कहीं वर्षा न होने के कारण अन्न की पैदावार कम हुई और इसीलिये सरकार को बाहर से अधिक अन्न मंगवाना पड़ा।

श्री रमेश वर्मा—क्या प्रदेशीय सरकार की ओर से केंद्रीय सरकार के सामने इस साल अन्न मंगाने की मांग प्रस्तुत की गई हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जैसा कि उत्तर में पहले ही बता दिया गया है कि अभी इस प्रकार का कोई निश्चय इस सरकार ने नहीं किया है।

श्री भगवान दीन मिश्र (जिला बहराइच)—माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावें कि अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में कितना अन्न इन वर्षों में अधिक पैदा किया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह तो माननीय कृषि मंत्री बतला सकते हैं कि कितना ग़ल्ला इन वर्षों में पैदा हुआ?

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ योजना के होते हुये भी अधिक ग़ल्ला बाहर से मंगाने की आवश्यकता पड़ी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं तो किसी क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण ग़ल्ला पैदा नहीं हुआ और कहीं अधिक वर्षा के कारण बाढ़ से गल्ले की पैदावार में कमी हो गई।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सही है कि उत्तर प्रदेश में अनाज की पैदावार प्रति वर्ष घटती जा रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं।

## बनारस नगर के गन्दे पानी के प्रयोग के लिये सुझाव

*१८—श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बनारस शहर का सारा गंदा पानी गंगा जी में ही गिराया जाता है जो जन स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारी है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*१९—श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या सरकार कुछ ऐसा प्रबंध करेगी कि जिससे यह पानी खाद के काम में लाया जा सके और गंगा जी में न गिराया जाय?

श्री मोहन लाल गौतम—सन् १९४८ में सरकार के स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य इंजीनियर ने इस हेतु ५७.७५ लाख रू० की एक विस्तृत योजना बनारस नगर-पालिका के पास भेजी थी पर वह अभी तक उसके विचाराधीन है। नगरपालिका द्वारा इस योजना के स्वीकार हो जाने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि बनारस नगर-पालिका की आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि इतनी बड़ी रक़म इस काम पर खर्च कर सके?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, मालूम है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय इस नगर पालिका की कोई आर्थिक सहायता करने का विचार कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रकार की जनरल सहायता तो नहीं दी जाती है। किसी विशेष कार्य के लिये हो तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह बनारस नगरपालिका को यह आदेश दे कि इस मसले पर विचार करने में वह शीघ्रता करे ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक इस मसले का संबंध है नगरपालिका से यह कहा गया था कि वह सिवर के काम को ले और गवर्नमेंट आफ इंडिया उसमें १० लाख से अधिक रुपये की सहायता देने के लिये तैयार थी परन्तु नगरपालिका ने इस अवसर का इस्तेमाल नहीं किया जब कि दूसरे शहरों ने, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, इस प्रकार से रुपया लेकर सिवर के काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री स्वयं इस तरफ कोई क़दम उठाना मुनासिब नहीं समझते ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुनासिब अवश्य समझते हैं।

## सिंगरी जनाना अस्पताल, हाथरस को सरकारी प्रबन्ध में लेने की आवश्यकता

*२०—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंगरी जनाना अस्पताल (Singari Female Hospital), हाथरस को प्रति वर्ष कितनी सहायता दी जाती है और इस वर्ष कितना रुपया सहायता के रुप में दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—सिंगरी महिला चिकित्सालय हाथरस को निम्नलिखित अनुदान प्रतिवर्ष दिये जाते हैं:—

(१) ३,६७६ रु० चिकित्सालय को सुचारु रूप से चलाने के लिये ।

(२) लगभग ६४८ रु०, चालिस रुपया प्रतिमास अथवा उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाई के भत्ते की ओर।

इस वर्ष (१९५२-५३) उपरोक्त रक़मों के अतिरिक्त २,००० रु० की रक़म चिकित्सालय को वस्त्र, बिछौने Locker और अन्य सामान खरीदने के लिये दी जा चुकी है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३,६७६ रुपया कितने वर्षों में दिया गया है और कब कब दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—यह बतलाया गया है कि २ हजार रुपये की नानरिकरिंग ग्रांट इसी साल दी गयी थी जो वहा पर वस्त्र वितरण आदि के लिये थी । जहां तक ३,६७६ रुपये का संबंध है वह अस्पताल का काम सुचारु रूप से चलाने के लिये दी गयी थी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या यह सत्य है कि ४० रुपया या इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पिछले चार मास से कोई वेतन नहीं मिला है ?

श्री बनारसी दास—जैसा कि अभी बतला दिया गया है कि यह चिकित्सालय सरकार के सीधे प्रबंध में नहीं है सरकार तो उसको केवल अनुदान देती है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सहायता सरकार द्वारा की जाती है वह किसके द्वारा खर्च की जाती है ?

श्री बनारसी दास—वहां एक सज्जन थे जिन्होंने इस अस्पताल को कायम किया था उन्होंने एक कमेटी इसके लिये बनायी थी, उसी के द्वारा यह रुपया खर्च किया जाता है।

*२१—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या यह सच है कि उक्त जनाने अस्पताल आवश्यक औजारों (Instruments) के न होने के कारण स्थानीय जनता की जच्चाओं में काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है ?

श्री बनारसी दास—औजारों का ऐसा अभाव नहीं है कि जच्चाओं को कोई कठिनाई का अनुभव करना पड़ता हो । तब भी जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वे प्रश्न २० के उत्तर में कथित २,००० रु० की रक़म से खरीदी जा सकेगी।

*२२—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या यह सच है कि स्थानीय जनता ने सरकार के पास एक प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया है कि इस सिंगरी जनाना अस्पताल (Singari Female Hospital), हाथरस का प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले ले ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, हाथरस निवासियों की ओर से उक्त चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण के विषय में एक प्रार्थना पत्र आया है । यह, प्रस्ताव विचाराधीन है । आशा है कि इस अस्पताल को सरकार अगले साल अपने हाथ में ले लेगी।

*२३—२५—श्री चित्तर सिंह निरंजन (जिला जालौन)—[४ फ़रवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

## कानपुर डेवेलप्मेंट बोर्ड के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करनेके संबंध में प्रस्ताव

*२६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या स्वासन मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या कानपुर के डेवलप्मेंट बोर्ड ने पिछले दिनों मे बोर्ड के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण ( retirement) के संबंध में कोई प्रस्ताव पास कर सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं।

*२७—२९—श्री राजाराम (जिला बस्ती)—[२८ जनवरी, १९५३ क लिय स्थगित किये गये।]

## एम्प्लायमेंट इक्सचेंज आफ़िसर द्वारा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये सिफ़ारिश

*३०—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के कुछ डि० बो० व म्यु० बो० कर्मचारियों की नियुक्ति के समय एम्प्लायमेंट कार्यालयों द्वारा भेजे हुये उम्मीदवारों को नहीं लेते हैं ? क्या भविष्य में सरकार स्वशासन संस्थाओं को आदेश देगी कि भविष्य में सभी नियुक्तियों के लिये वे एम्प्लायमेंट आफ़िसरों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को लें ?

श्री मोहनलाल गौतम—समस्त स्थानीय निकायों का यह परामर्श दिया जा चुका है कि वे अपने अधीन सेवाओं में नियुक्तियां एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से करे । सरकार को इस विषय पर कोई सूचना नहीं है कि जिला बोर्ड और नगरपालिकायें उक्त कार्यालयों द्वारा भेजे हुये उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करते । स्थानीय निकायों को यह स्वतंत्रता अवश्य है कि वे उन उम्मीदवारों को नियुक्त करे जिन्हें वे सुयोग्य समझे। सरकार कोई और आदेश जारी करके स्थानीय निकायों की इस स्वतंत्रता का अपहरण करना उचित और व्यवहारिक नहीं समझती।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज विभाग पर प्रान्तीय सरकार का कितना रुपया व्यय होता है।

श्री मोहनलाल गौतम—इस मुहकमे से मेरा कोई संबंध नहीं है इसलिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज विभाग की महत्ता को वे आवश्यक समझते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक समझ कर ही सन् ४८ में ये आदेश जारी किये गये थे।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय महीलाल जी से यह कहूंगा कि वे गवाह की भांति मन्त्री जी का क्रास ऐक्जामिनेशन न करें, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न न करें।

## सिकन्दरा राऊ (अलीगढ़) के भूतपूर्व हाकिम परगना द्वारा पंचायत मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार

*३१—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) के भूतपूर्व हाकिम परगना ने पंचायत विभाग के तीन मंत्रियों को कुछ समय पूर्व सिकन्दराराऊ थाने की हवालात में बन्द कर दिया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सत्य नहीं है कि भूतपूर्व हाकिम परगना सिकन्दराराऊ ने तीन पंचायत मंत्रियों को सिकन्दराराऊ थाने की हवालात में बन्द किया था।

*३२—श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि उक्त हाकिम परगना के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध तहसील के समस्त पंचायत मंत्रियों ने प्रस्ताव पास करके सरकार को उचित कार्यवाही के लिये भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मोहन लाल गौतम—उक्त हाकिम परगना के विरुद्ध कथित दुर्व्यवहार के संबंध में तहसील के समस्त पंचायत मंत्रियों का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होना नहीं पाया जाता है। केवल ग्राम सभा बटानऊ तथा कोंडरा जहांगीरपुर से दो प्रस्ताव पास हुये थे और इनके विषय में उक्त हाकिम परगना से पूछा गया था। उनकी रिपोर्ट से ज्ञात हुआ था कि वास्तव में पंचायत मंत्री ही दोषी थे न कि हाकिम परगना।

श्री नेकराम शर्मा—उत्तर में बताया गया है कि मंत्री ही दोषी थे। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि किस जुर्म के मंत्री लोग दोषी थे?

श्री मोहनलाल गौतम—मामला इस प्रकार से है कि जब हाकिम परगना अपनी अदालत में काम कर रहे थे तब वे मंत्री लोग उनके कमरे के बराबर पास ही खड़े हुये बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। हाकिम परगना ने अपने चपरासी से यह कहलवाया कि वे जरा खामोश हो जायं ताकि कोर्ट की कार्यवाही में कोई विघ्न न पड़े। उन्होंने उसको नहीं सुना बल्कि उलटे चपरासी को ही झिड़क दिया। फिर हाकिम परगना ने उनके सभापति द्वारा जो पास ही खड़े थे उन मंत्रियों को बुलाया, जब मंत्री लोग आये तो उन्होंने खुद माफ़ी मांगी और उनकी ओर से उनके पंचायत अफ़सर ने भी माफी मांगी कि उन्होंने इस तरह से अदालत की बात नहीं मानी। और उस पर अदालत ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री नेकराम शर्मा—क्या हाकिम परगना के अलावा तहसील के अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा या पंचायत सेक्रेटरियों के प्रधान से भी आपने यह जांच की कि इन मंत्रियों को एस० डी० एम० ने हवालत में बन्द कर दिया था?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी जरूरत नहीं मालूम होती । जब कि मंत्रियों ने खुद माफ़ी मांग ली तो उसकी मजीद जांच की कोई जरूरत नहीं है और जहां तक सभापति को संबंध है, उनका सीधा संबंध इस जांच से नहीं रखता है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि इन मंत्रियों ने एक प्रस्ताव पास करके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफ़सर के पास भेजा है परन्तु डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफ़सर ने उस प्रस्ताव को गवर्नमेंट के पास फ़ारवर्ड नहीं किया है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है?

## अतारांकित प्रश्न

### अदालत पंचायत भेंडी, जिला देवरिया में मुकदमों की संख्या

१—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अदालत पंचायत भेंडी, थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया में इस समय कुल कितने मुक़दमें दाखिल हैं और वे कब से चल रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—अदालत पंचायत भेंडी, थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया में निम्नलिखित मुक़द्दमें और प्रार्थनापत्र दाखिल हैं:

(क) फ़ौजदारी के ५ मुक़दमे,

ये दिनांक ५-७-५२, २१-८-५२, २३-८-५२, १२-११-५२ तथा २०-१२-५२ को दाखिल हुये थे । प्रथम तीन की कार्यवाहियां समाप्त हो चुकीं, केवल निर्णय देना शेष है शेष दो मुक़द्दमों की कार्यवाहियां चल रही हैं,

(ख) दीवानी के दो मुक़दमे ( ये दिनांक २७-११-५२ तथा १५-१२-५२ को दाखिल हुये थे )

(ग) माल संबंधी कार्यवाहियों के तीन प्रार्थना पत्र । ये दिनांक १५-१०-५२, १८-१०-५२ तथा १८-१०-५२ को दाखिल हुये थे।

### प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए प्रर्थना

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नं० १७ के संबंध में माननीय अन्न मंत्री ने जो उत्तर दिया है उस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है । उन्होंने जो यह बतलाया है कि हमारे प्रान्त में अन्न का उत्पादन नीचे नहीं गिर रहा है, इस संबंध में जो आंकड़े प्रान्त के सरकारी विभाग से, प्राप्त हुये हैं वे तथ्य के बिलकुल प्रतिकूल हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इस वक्त उसका मौक़ा नहीं है । अगर आप इसके बारे में कोई चर्चा करना चाहते हैं तो नियम ४२ को पढ़ने की कृपा करें और उसके अनुसार जो कार्यवाही उचित हो करें। इस वक्त आप स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं।

### बलरामपुर म्युनिसिपैलिटी के मेहतरों की हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज तीन कामरोकों प्रस्ताव आये हैं। एक श्री झारखंडेराय जी ने भेजा है। बलरामपुर, गोंडा की म्युनिसिपैलिटी के मेहतरों की हड़ताल के संबंध में उन्होंने लिखा है कि वहां बहुत दिनों से करीब २१ दिन से हड़ताल चल रही है। वहां दफा १४४ लागू है और ६४ मेहतर गिरफ्तार हैं।

[श्री अध्यक्ष]

मैं स्थानीय निकायों के संबंध में, जो उनकी व्यवस्था है उसके संबंध में जो इन्तजाम के झगड़े होते हैं उसके बारे में कामरोको प्रस्ताव वैसे तो स्वीकृत नहीं करता हूं। लेकिन इसमें लिखा है कि दफा १४४ वहां लागू है और ६४ मेहतर गिरफ्तार हैं, इसलिये मैं श्री झारखंडेराय जी से जानना चाहता हूं कि किस तरह से इसका सरकार से संबंध है। स्थानीय निकायों को छोड़कर या सरकार के स्थानीय अधिकारी वहां मामूली तौर से उसका जो इंतिजाम कर रहे हैं उसमें सरकार का संबंध नहीं हो सकता और उसको मैं नहीं लूंगा। लेकिन सरकार से उसका कैसे संबंध है इस विषय में अगर वह स्पष्टीकरण करें तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर के मेहतरों की हड़ताल के सिलसिले में ६४ आदमी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और यह गिरफ्तारियां जिले के अधिकारियों ने की हैं। उसके बाद मैं वहां स्वयं स्थिति को देखने के लिये गया था।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से इसका कैसे संबंध है?

श्री झारखंडेराय—वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वहां के अधिकारी वहां की स्थिति सम्हालने में असमर्थ हैं। गिरफ्तारियां काफी हो चुकी हैं और भी होती जा रही हैं और उसके अलावा शहर में जो बीमारियों के फैलने का अंदेशा है और वह भी वहां के अधिकारीसम्हाल नहीं पा रहे हैं। बाहर से जो आदमी उन्होंने बुलाये हैं उनको वहां के हड़ताली समझा बुझा कर या धरना देकर भगा देते हैं। तो ऐसी स्थित में जब जिले के अधिकारी सम्हाल नहीं पा रहे हैं तो मेरा ख्याल है माननीय अध्यक्ष महोदय कि सरकार का फर्ज है कि उस पर कुछकार्य करे। इसलिये उस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे मालूम हो कि बलरामपुर के मेहतरों ने हड़ताल कर रखी है। यह कामरोको प्रस्ताव मुझे यहां दफ्तर में ११ बजे मिला। मैंने अपने कार्यालय से कहा है कि वह उस सूचना को हासिल करें और अगर सूचना मिल जायगी तो मैं इस सदन के सामने रख सकता हूं। इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इस सवाल को कल के लिये स्थगित करता हूं यहां विचार करने के लिये। जब कल तक माननीय मंत्री जी इसकी सूचना हासिल कर लेंगे और उस का स्पष्टीकरण कर देंगे तभी इस पर विचार होगा कि यह प्रस्ताव लिया जा सकता है या नहीं। इसलिये मैं इसको कल तक के लिये स्थगित करता हूं।

## श्री शिब्बन लाल सक्सेना की गिरफ्तारी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह जी का है। वह श्री शिब्बनलाल सक्सेना जी की गिरफ्तारी के बारे में है और उसमें और बहुत सी चीजें काढ़ी गई हैं।

(हंसी तथा जोर जोर की आवाजें)

कृपा कर आप लोग शांत रहें। मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा इसी में रहेगी कि बीच में न बोला जाय। जब मैं कोई बात सुनाता हूं तब न बोला जाय। मैं उस प्रस्ताव में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको सुना देना चाहता हूं।

तो वह कहते हैं कि गैरकानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार और डिटेन कर लिया गया है और यह कार्य वहां के लोगों में असंतोष उत्पन्न करने वाला है। तो इस तरह के प्रश्न जिनमें स्थानीय इंतजाम का सवाल हो और जिसमें व्यक्तिगत तरीके से किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है उसको इतना महत्व नहीं दिया जा सकता कि इस सदन के कार्य को रोक कर उस पर विवाद किया जाय। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

## सरकारी रोडवेज के एक कर्मचारी द्वारा अनशन के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा सरकारी रोडवेज द्वारा किसी अपने कर्मचारी के प्रति किये गये तथा कथित दुर्व्यवहार के संबंध में काम रोको प्रस्ताव है। कहा जाता है कि उसने अनशन कर दिया है। यह भी व्यक्तिगत बात है। कोई कर्मचारी किसी अधिकारी से नाराज होने से अनशन करे उसकी इतनी अरजेंसी नहीं है और न उसको इतना महत्व दिया जा सकता है कि उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव आयें। इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं।

## कांस्टीट्यूशन ( सेकेंड अमेंडमेंट ) बिल, १९५२ के अनुसमर्थन में संकल्प

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन की तरफ से शायद यह ख्वाहिश है कि इसको कल लिया जाय। इस वजह से मैं चाहता हूं कि इसे कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अपोजीशन ने तो कहा नहीं है। उनकी ख्वाहिश को आप साउन्ड कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई ख्वाहिश हो तो अपोजीशन कह दे।

श्री राजनारायण ( जिला बनारस )—जी हां, इस संबंध में हमने चीफ़ ह्विप से बातचीत की थी। दो तीन दिन पहले।

श्री अध्यक्ष—आप डिटेल में मत जाइये। अपनी सम्मति कहिये।

श्री राजनारायण—जी हां, कल इस पर विचार हो।

## १९४९-५० के विनियोग लेखे (ऐप्रोप्रिएशन एकाउण्ट्स) और १९५१ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउण्ट्स) कमेटी की रिपोर्ट तथा उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (१९५१-५२) की बैठकों की कार्यवाहिया

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं १९४९–५० के विनियोग लेखे। एप्रोप्रियेशन एकाउण्ट्स) और १९५१ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) (रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति) (पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी) की रिपोर्ट तथा उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (१९५१–५२) की बैठकों की कार्यवाहियां उपस्थित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९४९–५० के विनियोग लेखे ( एप्रोप्रिएशन एकाउण्टस) और १९५१ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी) की रिपोर्ट तथा उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (१९५१–५२) की बैठकों की कार्यवाहियों पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९४९-५० के विनियोग लेखे (ऐप्रोप्रिएशन एकाउण्ट्स) और १९५१ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट तथा उत्तर प्रदेश लोक समिति (१९५१-५२) की बैठकों की कार्यवाहियों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है कि इस पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता है।

## *उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन् मैं इस विधेयक को पुनः सेलेक्ट कमेटी में ले जाने का प्रस्ताव रख रहा हूं और इसकी आवश्यकता, श्रीमन् मैं यूं समझता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक पहली बार सेलेक्ट कमेटी में गया था उस उद्देश्य की पूर्ति अभी नहीं होती है और बराबर जो लीगल एक्स्पर्टस हैं और भूमि-व्यवस्था से संबंधित जो सारे सूबे के न्यायालयों में तमाम मुकदमात चल रहे हैं वह बराबर आज तक कुछ न कुछ कानूनी दिक्कतों को हम लोगों के सामने लिखित भेज रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि उन तमाम दिक्कतों को माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखें। और यदि आज इस विधेयक पर चर्चा होती है और वादविवाद होता है तो जो बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं जो कि इस विधेयक में छूट गयी हैं वह इस विचार विनिमय के संबंध में माननीय मंत्री जी को मानने में कुछ कठिनाई होगी और बहुत सी बातें इसमें छूट जायेंगी। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि ऐसी मौलिक बातें हैं जो कि असामी और अधिवासी के संबंध को स्थापित करती हैं।

श्री अध्यक्ष—आप विदाउट लिमिटेशन कर रहे हैं या कोई लिमिटेशन के साथ सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं?

श्री राजनारायण—मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिल तीसरी बार संशोधित हो रहा है। तो यह जरा सदन के सम्मान के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो अमेंडमेंट मूव किया कि सेलेक्ट कमेटी में फिर भेजा जाय तो नियम १०५ में यह है कि :

"That the Bill as reported by the Select Committee be re-committed either (i) without limitation, or (ii) with respect to particular clauses or amendments only, or (iii) with insructions to the Select Committee to make some particular or an additional provision in the Bill."

[ कि विधेयक को, जैसा उसे प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, (१) निर्बन्ध के बिना, या (२) विशेष खंडों या केवल संशोधनों के संबंध में, या (३) प्रवर समिति को विधेयक विशेष या अन्य कोई और उपबन्ध सम्मिलित करने के निर्देश के साथ, पुनर्दिष्ट कर दिया जाय ]

तो आप विदाउट लिमिटेशन चाहते हैं।

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २४ दिसम्बर १९५२, की कार्यवाही में छपा है।

श्री राजनारायण—जी हां। मैं चाहता हूं कि व्यापक रूप से सेलेक्ट कमेटी इस पर विचार करे।

श्रीमन्, मैं थोड़े ही में माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हुये बताना चाहता हूं कि, अगर इस बिल को देखा जाय तो इसमें अब भी बहुत सी त्रुटियां रह गयी हैं। वह त्रुटियां आप धारा ३४२, धारा ६, ३ और २१२, और धारा १४९, १६१ और १७६ में देखेंगे। इन दफाओं में ऐसी-ऐसी भयंकर कमियां रह गयी हैं जो कि अभी दूर नहीं हो पायी हैं। उदाहरण के लिये मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में यह रखना चाहता हूं कि वह यह कहते हैं कि जो २५० रु० से ऊपर के मालगुजार रहे हों ज़मींदार, उनके सीर के जो शिकमी हों उनको हक मिलता है। मान लीजिये कि माननीय मंत्री जी भी २५० रुपये से ऊपर के ज़मींदार हैं और माननीय मंगला प्रसाद जी भी २५० से ऊपर के जमींदार हैं और माननीय मंत्री जी की सीर को माननीय मंगला प्रसाद जोतते रहे शिकमी पर तो उनका अधिकार उस ज़मीन पर हो जायगा और वह मौरूसी काश्तकार हो जायेंगे। तो अब श्रीमन्, जब माननीय मंगला प्रसाद भी जब २५० के ऊपर के ज़मींदार रहे तो क्यों न यह जमीन गांव सभा के हाथ में जाय, क्यों उस पर माननीय मंगला प्रसाद का कब्जा रहे। क्योंकि जब भूमि संशोधन विधेयक रख रहे हैं और जमीन को जोतने वाले जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिये। हमने विनोबा भावे को जो दान में भूमि मिली थी जब उसके बटवारे की बात को मान लिया तो एक तरह से माननीय मंत्री जी जमीन के बटवारे की बात को मानते हैं। ऐसी जब बात है तो क्यों नहीं विधेयक में हम ऐसा मौलिक संशोधन रखें कि जो २५० रूपये के ऊपर के ज़मींदार है वह तो बड़े ज़मींदार माने गये हैं, अगर उनकी सीर कोई २५० रुपये के ऊपर का हीं जमींदार जोतता था तो वह ज़मीन गांव सभा के पास जाय और गांव सभा उस सीर को जो भूमिविहीन हैं, छोटे-छोटे खाते वाले हैं उनको दे दें।

इसी तरह से एक उदाहरण और रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—नियम १०६ को आप पढ़ लें।

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions, as the case may be, shall be put."

[इस प्रक्रम पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वादविवाद न होगा अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायगा या किये जायेंगे।]

तो मुख्तसिर में आप कहें। डिटेल में आप जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं मुख्तसिर में कह रहा था। केवल उदाहरण के लिये एक बात कह दी। एक बात सार्वजनिक कुवों के बारे में है। मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक कुवों को गांव सभा से छीना जाय। इसी तरह से जमीन के बटवारे में है। अगर यह धारायें कायम रहीं तो उसका फल यह होगा कि सवा छः एकड़ से ऊपर जो जमीन है उसके बटवारे में दिक्कत पड़ती है। और उसमें जो शेयरर हैं, कई शेयरर हैं, मानलीजिये की तीन शेयरर हैं। २५० रु० के ऊपर १ जमींदार है तो उसके हिस्से का जो उस जमीन को जोतने वाला होगा उतने हिस्से का वह मौरूसी होगा और दूसरे के हिस्से का जो कि २५० रु० से कम वाले हैं उनका वह आसामी होगा तो एक ही खाता है। उसका बटवारा भी नहीं होगा और वह पटवारी के कागज में रखा जायगा, मौरूसी रखा जायगा या आसामी रखा जायगा या अधिवासी रखा जायगा। यह तमाम बातें श्रीमन्, इसमें ऐसी रखी गई हैं जिन पर कि सदन को

[श्री राजनारायण]

विचार करना चाहिये,सरकार को विचार करना चाहिये । एक उदाहरण दे दूं श्रीमन्, मैं बहुत ब्रीफ (थोड़े) में ही जा रहा हूं मगर यह ज़मींदारी विधेयक जो है यह सूबे की ५ करोड़ जनता से संबंधित है और ३०० से ऊपर इसमें धारायें हैं। खास, खास थोड़ी-थोड़ी बातें श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं। एक मार्गेजी (रेहनदार) के संबंध में है। बन्धकी और बन्धक करने वाला। अब बन्धक जो है अगर हमने अपनी जमीन बन्धक रख दी है और अगर वह बन्धकी उस जमीन को जोतता है तो इस सेक्शन में, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहता और माननीय मंत्री जी भी इसकी बारीकियों को समझते होंगे वरना मैं उन धाराओं को पढ़कर आपके सामने रखता, तो आप देखेंगे कि एक धारा से तो उसको दूसरा अधिकार मिलता है और फिर उसी के बाद दूसरी धारा से उसका दूसरा अधिकार छीना जाता है। यानी इतना कंट्रैडिक्शन है इस जमींदारी विधेयक में कि कोर्ट्स (कचहरियाँ) परेशान हो जायंगी, जनता परेशान हो जायगी और जो उस ज़मीन को जोतता है, खेती करता है वह परेशान हो जायगा। श्रीमन् आप अगर इजाजत दें तो इसकी सफ़ाई में एक धारा को पढ़ दूं और ज्यादा डिटेल में वह नहीं जायगा। १७८ वीं धारा को मैं श्रीमन् चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी देखें। १७८ वीं धारा में यह साफ़ लिखा हुआ है:

"बटवारा किये जाने वाले खाते या खातों का कुल क्षेत्रफल (एग्रिगेटेड एरिया) सवा छै एकड़ से अधिक नहीं है, या"

इसी के बारे में मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर तीन आदमी हैं तो जब कि वह जमीन बटेगी नहीं, और बटवारा होगा नहीं तो जो उसको जोत रहा था वह उसका मौरूसी होगा या उसका आसामी होगा या उसका अधिवासी होगा। एक ही खाता है। पटवारी के कागज में या खसरा या खतौनी जो भी बनेगा उसमें क्या रखा जायगा। यह बात समझ में नहीं आता है। बहुत से वकील जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने लिखकर आपत्ति इसके संबंध में हमारे पास भेजी है कि इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये। इसी तरह से श्रीमन्, १२वीं धारा को मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में रखना चाहता हूं। १२ वी धारा में है कि:

"यदि कोई भूमि १ मई, सन् १९५० ई० को किसी व्यक्ति की निजी जोत में ठेकेदार की हैसियत से रही हो और ठेका इस ध्येय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करें तो किसी विधि, लेख्य या न्यायालय की आज्ञा में किसी बात के रहते हुये भी, उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह उस भूमि का ऐसा मौरूसी काश्तकार (हेरिडिटरी टेनेंट) है जिसे उस भूमि को अपने कब्जे में मौरूसी काश्तकार की हैसियत से रखने और यदि उक्त दिनांक के बाद वह बेदखल हो गया हो तो उसको उस हैसियत से फिर से कब्जा पाने का अधिकार है और वह उस भूमि के लिये मौरूसी दर से लगान का देनदार होगा।"

श्रीमन्, तो १२ वीं धारा साफ कहती है कि पहली मई, सन् १९५० ई० को उसमें कोई भी बात ....

**माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)**—आन ए प्वाइण्ट आफ़ आर्डर, मैं श्रीमान का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि धारा १२ या १७६....

**श्री अध्यक्ष**—यह धारा १२ कहां की है, विधेयक की है या मूल अधिनियम की ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—यह मूल अधिनियम की धारा १२ है। तो धारा १२ या १७६ को मौजूदा विधेयक के ज़रिये से कहीं कोई संशोधन नहीं किया गया है। और सेलेक्ट कमेटी भी नहीं कर सकती थी। तो यह जो मूल अधिनियम की धारा १२ और १७६ की बातें कही जा रही हैं और दलीलें दी जा रही हैं वे मुनासिब नहीं हैं। इसलिये मैंने श्रीमान् का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्री अध्यक्ष—माननीय सभा सचिव ने जो बात उठाई वह बिलकुल सही है। यह विधेयक अधिनियम के आम सुधार के संबंध में नहीं है। मैं यह समझ रहा था कि शायद आप विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट के हिसाब से सब चीजें पढ़ रहे हैं। जब कोई विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो उसका सिद्धांत तय हो करके ही जाता है और जब वह सिद्धांत तय होने के बाद वह सेलेक्ट कमेटी बैठी तो उन्हीं सिद्धांतों पर टीका टिप्पणी हो सकती है न कि मूल अधिनियम के सद्धांतों पर।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जो स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स हैं उसी की लाइनें माननीय मंत्री जी की खिदमत में और उपसचिव जी की खिदमत में रखना चाहता हूं। इसमें जो सरटेन डेफिशिएंसीज हैं कम्पेंसेशन आदि के बारे में थीं उनको दूर करने का मुख्य आब्जेक्ट इस सरकार का है और इसके बाद —

"The more important provisions of this Bill are :

(1) It is proposed that private wells even if they are not sitauted in a holding , grove or village *abadi* should remain vested in the owners of the wells themselves."

श्रीमन्, जो यह है मैं इसी को पढ़ रहा हूं। इस पर जरा गौर किया जाय कि पहले जो विधेयक पास हो चुका था उसमें सिंचाई के काम को सुगम बनाने के लिये लिखा था कि कुयें जो हैं उनपर गांव सभा के जरिये सिंचाई की जाय। अगर किसी व्यक्ति के भी बनाये हुये कुंयें हों तो भी उस पर व्यापक सार्वजनिक अधिकार होगा, लेकिन जो इस समय विधेयक पेश है उसके जरिये यह अधिकार छीना जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे कि पहले जमींदारी ऐक्ट में जो सुविधायें दी गयीं थीं अगर उन सुविधाओं को बैकडोर (पीछे दरवाजे से) दूसरे संशोधन या विधेयक को ला करके छीना जायगा तो यह सरकार के लिये शोभाकी बात नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि—

"(2) The position of tenants of *sir* land of intermediaries who dis not pay local rates has been clarifred as also of those who hold *sir* land intermediaries some of whom might be paying Rs.2500- or more as land revenue per year and others less than this amount"

श्रीमन्, आब्जेक्ट्स के दूसरे आइटम को मैंने आप की इजाजत से खिदमत में रखा। इसमें यह स्पष्ट है कि जो हमने पहले बात कही कि अगर कोई मार्गेजी हो जाता है किसी का, किसी का बन्धकी हो जाता है और वह बन्धकी २५० के ऊपर मालगुजारी देने वाले का है या २५० से कम देने वाले का है, वह भी इसी में शामिल है, कहीं बाहर की बात नहीं आती है, और उसी के दृष्टांत स्वरूप मैंने उसे पढ़ दिया था। इस तरह से श्रीमन् हम चाहते हैं और स्पष्ट हमारी इच्छा है और सरकार की भी यही इच्छा हम समझते हैं कि होनी चाहिये, जबकि विनोबा भावे जी के भूदान के बारे में विधेयक पास हो चुका है कि २५० रुपये के ऊपर मालगुजारी देने वाले जो जमींदार हों अगर उनके पास किसी जमींदार की सीर किसी भी किस्म से चली जाती हो तो वह सीर गांव-सभा के पास जाय, उसके पास नहीं जानी चाहिये, और वह कुछ देगा भी नहीं, यह भी उसमें खूबी है कि सरकार के लिये भी वह कुछ नहीं देगा। इसी के साथ साथ श्रीमन्

"Constitution of gaonsamaj and formation of Land Management Committees has been simplified."

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दो तीन उदाहरण आप के काफी हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ठीक है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बाद पर गौर करेंगे कि जिन-जिन बातों को जैसा गांव समाज के बारे में मैंने कहा और भूमिधरी राइट्स

[श्री राजनारायण]

जो पैदा हो रहे हैं उसके बारे में निवेदन किया और उसी तरीके से लैन्डलेस लेबरर्स के लिये जो जमीन आगे मिल सकती है और जिससे भूमि का बटवारा सरल हो सकता है उसके बारे में मैंने निवेदन किया। उसी तरह से जो मुकदमें आज कोर्ट्स में दरपेश हैं उनके बारे में जो दिक्कतें मैंने निवेदन कीं उन तमाम दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुये हम यह जरूरी समझते हैं कि यह विधेयक एक बार पुनः सेलेक्ट कमेटी में जाय और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ली जाय ताकि सदन को बार बार संशोधन न करना पड़े और यह तीसरा संशोधन हो रहा है इसलिये और भी परेशानी होती है कि सदन का समय नष्ट होता है और एक मजाक का विषय हम लोगों का बन गया है। अभी मैं पूर्व के जिले में गया था। वहां तमाम वकील लोग यही कहते थे कि आखिर बैठ कर आप लोग क्या करते हैं। सवालों का जवाब देते-देते श्रीमन्, नाक में दम हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक इस सदन के सम्मान के लिये और जो तमाम कमियां हैं उनको दूर करने के लिये माननीय मंत्री पुनः एक बार सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की कृपा करें।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस है कि माननीय राजनारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कारण यह है कि सेलेक्ट कमेटी तीन रोज तक मेरे ख्याल से तीन-तीन और चार-चार घंटे विधेयक पर विचार करती रही। दो रोज जब विचार कर लिया उसके बाद तय यह हुआ कि जो संशोधन कमेटी ने तय किये उनको ड्राफ्ट कर लिया जाय और रिपोर्ट मेम्बर्स के सामने दस्तखतों के लिये रख दी जाय। लेकिन उन संशोधनों के ड्राफ्ट करने में कुछ कठिनाई हुई। लिहाजा फिर कमेटी की मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई ८ या ९ या १० को और फिर मीटिंग हुई १५ दिसम्बर को और फिर कई घंटे बहस हुई और अध्यक्ष महोदय, सेलेक्ट कमेटी के जो भी मेम्बरान इस वक्त हों, मैं समझता हूं कि वह मेरा समर्थन करेंगे जब मैं यह कहता हूं कि एक एक मामले पर आध आध घंटे पौन पौन घंटे और अगर कोई पेचीदा मामला हुआ तो एक एक घंटे बहस हुई। किसी भी मेम्बर को यह शिकायत नहीं हो सकती कि उन्होंने कोई बात कहनी चाही और उस बात के सुनने का मौका कमेटी ने नहीं दिया। तो कमेटी पूर्ण रूप से इस पर विचार कर चुकी है। अभी जैसा कि मेरे भाई मौर्य जी ने प्रश्न उठाया था और अध्यक्ष महोदय, आपने उसके हक में रूलिंग भी दी, दरअस्ल जो आपकी कठिनाई है वह कठिनाई इस विधेयक से कम संबंध रखती है। तो इसलिये इसको फिर कमेटी के सुपुर्द करने में कोई सेन्स नहीं है। कमेटी तो उन्हीं खंडों पर विचार कर सकेगी जो कि हमने विधेयक में रखे थे। फिर जहां पर आप यह कहते हैं कि वकील साहबान बड़े बड़े सवाल करते हैं तो अंग्रेजी में है कि "देयर आर वकील्स ऐंड वकील्स"। वकील भी तो सौ किस्म के होते हैं। अगर वकील एक ही किस्म के होते और वकीलों की राय हमेशा ठीक हुआ करती तो फिर फैसले के लिये अपील और अपील के बाद सेकेंड अपील और फिर थर्ड अपील और उसमें फैसले बदल जाते हैं बराबर, इन सब की गुंजायश ही न होती। कानूनी बात है। एक पुराने जमाने का जो जायदाद के संबंध में कानून बना हुआ था उसको हमने एक तरीके से बिलकुल बदल दिया। बहुत से वकील और मुख्तारों ने पहली जुलाई, सन् १९५२ ई० से पहले उस कानून को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। और अब उसमें से दो चार चैप्टर्स पढ़े और उसका जवाब किसी अगले चैप्टर में है तो उन्होंने सवाल कर डाला। और फिर सवाल किस से किया जाय इस पर बहुत कुछ मुनहसर है क्योंकि मेरे मित्र कहते हैं कि नाक में दम हो जाता है वकील जब सवाल करते हैं। तो किसी वकील से सवाल करें . . . .

श्री राजनारायण—मैं भी वकील हूं, श्रीमन्।

श्री चरण सिंह—और तजुरबेकार वकील से सवाल करें। जिसने प्रैक्टिस की हो या करता हो, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं वे भी बहुत से भूल गये हैं, तब तो सवाल करना ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि वकील तो बहुत होते हैं। लिहाजा यह वकील

करते, वकीलों की बात समझ में नहीं आती है या वकीलों ने उनको चिट्ठी लिखी या किसी और साहब को चिट्ठी लिखी तो यह दलीलें काफ़ी नहीं हैं। जहां तक विधेयक है उसके खंड सदन के सामने प्रस्तुत होंगे और जिस सज्जन को या माननीय श्री राजनारायण जी को कुछ कहना हो तो वह अपनी बात रख सकते हैं और किसी सदस्य को यदि महसूस होता हो कि और संशोधन हो जाय तो वह अपना संशोधन विधेयक अलग ला सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है पुनः विचारार्थ प्रवर समिति के पास भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड २

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में :— उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन।

(१) खंड (११) निकाल दिया जाय;

(२) खंड (२६) में :—

(क) शब्द "दवामी काश्तकार" के पहले शब्द "क्षेत्रपति" रख दिया जाय, एवं "Permanent tenure holder" से पहले "Land holder" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द "सीर" के बाद शब्द "काश्तकार" रख दिया जाय, एवं "sir" के बाद "Tenant" रख दिया जाय;

(३) खंड (२७) के बाद निम्नलिखित नये खंड (२८) के रूप में रख दिया जाय :—

"(२८) भाग १ में निजी जोत की भूमि के बारे में किसी भी अभिदेश (referance) का तात्पर्य, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के नाते, उसकी निजी जोत के अन्तर्गत भूमि से है।"

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने कुछ संशोधन दिये थे जो कार्य-सूची में नहीं छपे।

**श्री अध्यक्ष**—वह समय के अन्दर नहीं थे इसलिये नहीं आये। अगर किसी को आपत्ति न हो तो मैं उनको ले सकता हूं।

**श्री राजनारायण**—अध्यक्ष महोदय, किसी को आपत्ति तो नहीं है।

**श्री चरण सिंह**—मुझे आपत्ति है।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत खंड (११) न निकाला जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मूल अधिनियम है इसको लागू हुये पहली जुलाई से अब तक कुछ महीने ही हुये हैं और मैं नहीं समझता कि इसमें क्या कठिनाइयां काम करने में और सरकार को मालूम हुई हैं जिसकी वजह से इस तरह की बात करने की जरूरत आई। सिलेक्ट कमेटी में हमने बहुत विचार करने की कोशिश की लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने कोई ऐसी दलील नहीं दी जिसके ऊपर हम अपने को उनके साथ कर सकते। यह धारा जो है वह कुछ आज की इस अधिनियम में नहीं रखी गई है बल्कि १९३९ के काश्तकार कानून में भी इसकी गुंजायश की गई थी और इस कानून के मुताबिक जो सुधार के कार्य थे उनको ऐसा रखा गया था जिससे किसानों को अपने सुधार के काम करने में सहूलियत हासिल हो और उसकी बुनियाद पर वही इस काम के लिये जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में की गई थी।

श्री अध्यक्ष—यह जो आपका संशोधन है और श्री ओंकार सिंह का जो संशोधन है दोनों एक से ही हैं। लेकिन वह शक्ल जो उनके संशोधन की है ज्यादा अच्छी है कि उपखंड १ हटा दिया जाय। इससे मतलब वही निकलता है। आप इस शक्ल में अपना संशोधन रखिये जिस शक्ल में श्री ओंकार सिंह जी ने रखा है तो उचित होगा।

श्री गेंदा सिंह—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय ओंकार सिंह, माननीय कमला सिंह और मेरा इस धारा में जो संशोधन हैं वे एक ही हैं।

श्री अध्यक्ष—आप इसे इसी शक्ल में रक्खेंगे "खंड २ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।"

श्री गेंदा सिंह—मैं समझता हूं कि इस धारा के न निकाल देने से न कोई सहूलियत बढ़ती है लेकिन एक कठिनाई अवश्य बढ़ जाती है। मुझे याद है पिछले जमाने में जब सुधार की कार्यवाही को करने के लिये सुविधा प्रदान की गई थी किसानों को तो उसमें लोगों ने नुक्ताचीनी की और जमींदारों ने बेजा फ़ायदा उठाया। सौभाग्य की बात है कि आज जमींदार नहीं हैं। जमींदारों का स्थान गांव सभाओं या गांव-समाज ने तो उसी तरह से नहीं लिया है लेकिन गांव सभाओं को यह अधिकार मिला है सुधार कार्य का। इसकी परिभाषा बहुत स्पष्ट न हो तो बहुत सम्भव है कि किसानों के लिये जो कार्य वे करें उसमें उनको बहुत कठिनाई पड़े। ऐसा अधिकार रहने से हो सकता है कि मुकदमेबाजी बढ़े और फिर यह लोग किसानों को तकलीफ़ नहीं देंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह मनुष्य स्वभाव में है और ऐसा हो सकता है कि गांव-सभायें जिन किसानों पर मुकदमे दायर करें और उससे झगड़े पैदा हों। इन अधिकारों की वजह से ऐसी कठिनाई पैदा हो सकती है जिससे किसानों को ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़े। इसलिये इस मूल अधिनियम को अभी तब्दील करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। इसको जैसा का तैसा रहने दिया जाय और फिर इस पर दो-चार महीने काम किया जाय। मैं समझता हूं कि उसके बाद मुनासिब होगा कि कोई कठिनाई आने के बाद उसका परिवर्तन किया जाय। मैं इस मौके पर अधिक दलील नहीं देना चाहता। मेरी यह धारणा है, आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री ने इस पर कुछ विचार किया जब वह अपनी राय ज़ाहिर करेंगे

और-और लोगों की तरफ से यह विचार जाहिर किये जायंगे तब मैं अपनी बात रखना मुनासिब समझूंगा :

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो प्रस्ताव इस समय उपस्थित है कि धारा २ का उपखंड १ निकाल दिया जाय, इसके पूर्व कि मैं इसमें उन्नति के बारे में कुछ कहूं मैं यह मुनासिब समझता हूं कि विधेयक में उन्नति के जो अर्थ दिये गये हैं उसको इस सदन के सामने रख दूं—

"उन्नति का अर्थ किसी खाते के सम्बन्ध में निम्नलिखित है :

(१) खाते की भूमि में खातेदार ( tenure-holder ) द्वारा अपने रहने के लिये बनाया गया घर या ऐसे अन्य निर्माण, जो उसने कृषि ( agriculture ), उद्यानकरण ( horticulture ) या पशु-पालन ( animal husbandry ) जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन (Pisciculture) और कुक्कुट पालन (polutry farming) भी है सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये खाते की भूमि में बनाये या खड़े किये हों,

(२) पूर्वोक्त प्रयोजनों से संगत ( consistent ) कोई ऐसा निर्माण, जिससे खाते की भूमि के मूल्य में वास्तविक (material) वृद्धि होती हो, जो यदि खाते की भूमि पर न बनाया गया हो तो वह या तो उसे सीधे ( directly ) लाभ पहुंचाने के लिये बनाया गया हो या बनाये जाने के लिये, बाद में खाते को सीधे लाभ पहुंचाने के योग्य कर दिया गया हो और इस खंड के पूर्वोक्त निदेशों को बाधित न करते हुए (subjet to) इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :

(क) पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये कुओं, जल-प्रणालियों ( water channels ) और पानी पहुंचाने या बांटने ( distribution ) से सम्बद्ध दूसरे निर्माणों ( works ) का बनाना,

(ख) भूमि से पानी के निकास के लिये, या बाढ़ अथवा कटाव या अन्य अलक्षति से भूमि को सुरक्षित रखने के लिये, बनाये गये निर्माण-कार्य,

(ग) भूमि का उद्धार (reclaiming) भूमि को जंगल झाड़ से रहित करना ( clearing ) उसमें घेरा बांधना, उसे चौरस ( levelling ) या समसमुन्नत करना ( terracing ) '

(घ) ऐसी इमारत का बनाना जो खाते की भूमि के सुविधानुकूल या लाभदायक उपयोग अथवा दखल के लिये आवश्यक हो और जो उक्त भूमि के बिल्कुल समीप किसी ऐसी भूमि पर बनाई, गई हो जो गांव की बस्ती ( Village site ) से भिन्न हो,

(ङ) पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये तालाब या अन्य जलाशय बनाना,

(च) खाते की भूमि में पेड़ और बाग लगाना,

(छ) पूर्वोक्त निर्माणों का नवीकरण ( renewal ) या पुनर्निर्माण (reconstruction) अथवा उनमें ऐसे परिवर्तन या परिवर्द्धन न करना जो केवल मरम्मत के ही प्रकार के न हों;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी जल प्रणालियों, बांध (embnakments) घेरे (enclosure), अस्थायी कुयें या

[ श्री कमला सिंह ]

अन्य निर्माण, जिन्हें कोई खातेदार पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये सामान्य रूप से ( in the ordinary course of his requirements ) बनावे, उन्नति नहीं समझे जायगे।

इस उन्नति की परिभाषा में अगर आप पहले ही नम्बर पर विचार करें तो मालूम होगा कि उसमें खातेदार का नाम ही रखा गया है और किसी और तरह के प्रोप्राइटर का नाम उसमें नहीं रखा गया है। जितनी भी उन्नति की क्लाज़ यहां पर है उसमें खातेदार या और काश्तकार जो हैं उनके लिये ही यह बनाया गया है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह है कि जनता को इस बात का प्रोत्साहन दिया जाय कि अगर कहीं ऊंची-नीची ज़मीन है या अनक्लेम्ड जमीन है वह ठीक हो जाय। इसके साथ ही इससे खाते की उपज भी बढ़ेगी। यह एक तरीका है और उन चीजों पर उनका अख्तियार होने से वह प्रयत्न कर सकते हैं कि पैदावार बढ़ाई जाय। इतना ही नहीं बल्कि यह भी दिया हुआ है कि अपने खाते के अन्दर वह पेड़ लगा सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, और सिंचाई के लिये बांध भी बना सकते हैं या बरसात के दिनों में जो बाढ़ आ जाती है उससे रक्षा करना भी उसका मतलब है। इसके अलावा अगर किसी जगह पर जंगल है और झाड़ वग़ैरा खड़े हुये हैं तो वह उनको साफ़ करके उनको उपजाऊ बना सकते हैं। यह अख्तियार उनके लिये उन्नति की परभाषा में दिया हुआ है। यही वजह थी कि जितने भी टेनेंसी ऐक्ट चाहे वह १९२६ का हो या १९३९ ई० का हो सब के अन्दर यह दिया हुआ है और इम्प्रूवमेंट की परिभाषा में यही है जो मैंने बतलाया है। इसमें सिर्फ़ उन लोगों को प्रोत्साहन देने का तरीका ताल्लुक़ नहीं है बल्कि बेदख़ली को रोकने का भी ढंग है जिसके लिये यह ज़रूरी हो जाता है कि इस अमेंडिंग बिल के ज़रिये से उस चीज़ को न निकाला जाय। टेनेंसी ऐक्ट १९३९ की दफ़ा १७२ में यह दिया हुआ है कि :

"A tenant shall be liable to ejectment from his holding on the suit of the landholder—

(*a*) on the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding , or inconsistent with the purpose for which it was let ; "

इसके अन्दर यह है कि उस वक्त के कानून के खिलाफ़ अगर कोई करता है तो उसके मुताबिक वह बेदखल होता था लेकिन इसके प्राविज़ो में यह दिया हुआ है—

"Provided that the planting of trees in accordance with the provisions of sections 80 or the making of an improvement in accordance with the provisions of this Act, or the use of a holding for the purpose of grazing or raising stock, including horses, or the construction of enclosures sutitable for stock raising, shall not constitute ground for ejectment under this section. "

तो यह जो उन्नति की परिभाषा है उससे यह बेदख़ली रोकने की ज़रूरत है। इस धारा १७२ के अन्दर जो प्राविज़ो दिया हुआ है वह काश्तकारों की बेदख़ली रोकता है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस विधेयक की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें बेदख़ली के ४ सेक्सन्स हैं। २०१, २०२, २०६ और २०९। में धारा २०६ की ओर सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह दिया हुआ है कि "कृषि, उद्यानकरण या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन में भूमि का उपयोग करने के कारण सीरदार या असामी गांव-सभा या क्षेत्रपति के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदख़ल हो सकेगा और उसको ऐसी क्षतिपूर्ति भी देनी होगी, जो उस भूमि को उक्त प्रयोजनों के लिये फिर से उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय के बराबर हो।" तो इस तरह से

इस धारा में यह दिया हुआ है कि जो चीजें कृषि उद्यानकरण या पशु-पालन तक सीमित हैं यदि उन से भिन्न कोई भी काम किया जायगा तो किसी भी काश्तकार, सीरदार या असामी की बेदखली हो सकती है। ऐसी हालत में इम्प्रूवमेंट की जो परिभाषा दी हुई है उसको सेफगार्ड करने की और ऐक्ट में रखने की बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ज़मींदारी अबोलिशन ऐक्ट की धारा १४६ और धारा १४९, १५० की ओर दिलाना चाहता हूं। धारा १४६ में यह दिया हुआ है "इस अधिनियम के निदेशों पर उपाश्रित रहते हुये, सीरदार या असामी को अपने खाते के अन्तर्गत सभी भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार होगा और उसको यह भी अधिकार होगा कि वह कृषि, उद्यानकरण या पशु-पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है : से सम्बन्ध रखने वाले जिस प्रयोजन के लिये चाहे उसके लिये उस भूमि का उपयोग करे और उसमें जिस प्रकार की चाहे उस प्रकार की उन्नति करे।" इसके साथ ही साथ १४६ धारा में यह दिया हुआ है कि सीरदार और असामी को यह हक़ होगा कि वह किस प्रकार की उन्नति कर सकता है और जैसा कि मैंने बताया दूसरी तरफ २०६ में बेदखली दी हुई है। तो इस तरह से यह दोनों चीजें दो सेल्फ कण्ट्रेडिक्टरी चीजें हो जाती हैं। अगर इसको निकाल दिया जाता है तो फिर उन्नति या इम्प्रूवमेंट का माप किस प्रकार होगा कि कौन सी चीजें डेटरीमेंटल ऐक्ट में आती हैं जो इस ऐक्ट के खिलाफ़ हैं। साथ ही १४९ धारा इस प्रकार है...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दो-एक उदाहरण जो आपने दे दिये वे काफी हैं।

श्री कमला सिंह—यह १४९ वह धारा है जिसमें यह है कि कोई असामी अगर अपने खेत से बेदखल किया जाता है तो जो उन्नति के काम उसमें उसने किये हैं उसके लिये उसको प्रतिकर दिया जाता है, इसलिये यह सेक्शन बहुत जरूरी है। साथ ही मैं धारा १५० भी आपको सुनाना चाहता हूं :—

श्री अध्यक्ष—आप उसका जिक्र भाषण में कर दें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।

श्री कमला सिंह—तो इस धारा १५० में यह दिया हुआ है कि धनराशि जो मुआविजे में दी जायगी उसकी मात्रा किस प्रकार मुकर्रर की जायगी वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि "या निर्माण की लागत, (२) निर्माण की दशा और वह अवधि जिसमें—

श्री अध्यक्ष—मैं इसके पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगा, आप जो इम्प्रूवमेंट बतला रहे हैं वह बतला दें।

श्री कमला सिंह—धारा १५० में साफ़ दिया हुआ है कि कौन से कारण होंगे जिन पर प्रतिकर को अवधारित किया जायगा। यदि हम उन्नति की तारीफ़ को निकाल दें तो जनता को भी परेशानी होगी और इस चीज पर न्याय करने वालों को भी परेशानी होगी। इन बातों को कहते हुये मैं गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना यह पड़ता है कि यह इतना सीधा सादा सा मामला सेलेक्ट कमेटी में भी उठाया गया था। मैं उसकी डिटेल सिलसिले में कुछ नहीं कहता लेकिन सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि यह बहुत छोटी सी बात है। सेलेक्ट कमेटी में इस पर बहुत लम्बी बहस की गई और सिवाय एक या दो सज्जन के वहां सभी एकमत के थे और वे कोई उत्तर नहीं दे सके थे। भूमि की जो परिभाषा सन् १९३९ के यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट

[श्री चरण सिंह]

में थी उसके अन्दर उन्नति नहीं आ सकती थी। अब हमने भूमि की जो परिभाषा कर दी है वह इतनी चौड़ी है कि उसके अन्दर उन्नति स्वयं शामिल हो जाती है। इसलिये अब उन्नति की अलहदा परिभाषा रखना और ५, ६ धारायें रखना ग़ैर ज़रूरी है। यह इतनी स्पष्ट बात है कि इसे मामूली किसान भी समझ लेगा जिसके लिये यह बनाई गई है। मसलन लैंड की डैफ़ीनीशन पहले यह थी, मैं अंग्रेजी में पढ़ कर सुनाता हूं क्योंकि पहला ऐक्ट अंग्रेजी में है:

"Land" means land which is let or held for growing of crops, or as groveland or for pasturage. It includes land covered by water used for the purpose of growing *singhara* or other produce, but does not include land for the time being occupied by buildings or appurtenant thereto other than buildings or which are improvements."

जो लैंड की डैफ़ीनीशन अब हो गई है वह, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

"land which is let or held for growing of crops, or as groveland or for pasturage."

"Land " except in section 143 and 144 means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry, which includes pissiculture and poultry farming."

पहले यह था कि लैंड हैल्ड फ़ार ग्रोइंग आफ क्राप्स और अब लैंड की परिभाषा हो गई है कि हैल्ड के साथ आक्यूपाइड हो गया है और यह हो गया है कि मीन्स लैंड हेल्ड आर आक्यूपाइड फार पर्पजेज आफ एग्रीकल्चर। इसलिये अदालतों ने यह तय किया कि किसान कुआं नहीं ले सकता क्योंकि उसके लिये नहीं बल्कि खेती के लिये दिया है। कोई एम्बैंकमेंट नहीं ले सकता या खेती के लिये सुधार नहीं कर सकता। इसीलिये उसकी खेती के लिये सुविधा रखी गई और उसे कई आज्ञायें दी गईं, १०–१२ सेक्शन्स इसके लिये रखे गये। अब जो हमारे यहां भूमि की परिभाषा है वह बहुत ज्यादा व्यापक है। यानी पहले तो यह थी जो खेती के लिये जमींन किसी के पास हो लेकिन अब यह है "खेती से सम्बन्ध रखने वाले उद्देश्य के लिये जमींन किसी के पास हो" अब खेती से सम्बन्ध कुआ भी रखता है, एम्बैंकमेंट भी रखता है और जल-प्रणाली भी रखती है। अब यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में इम्प्रूवमेंट की परिभाषा यह है—

"improvement" means with reference to a tenant's hodling :

(*i*) a dwelling house erected on the holding by the tenant for his own occupation or a cattle-shed or a store-house or any other construction for agriculturel purposes erected or set up by him on his holding.

यानी खेती की ग़रज़ के लिये जरूरी मकान है अब वह चाहे पशुओं के लिये हो या गोदामघर हो। लेकिन अब जो लैंड की डैफीनीशन की गयी है वह उसमें आ जाता है यानी वह इस भांति है:

"means land held or occupied for agricultural purposes etc."

इसमें ये सब चीजें वैसे ही शामिल हैं।

दूसरी इम्प्रूवमेंट की परिभाषा इस प्रकार है —

(*ii*) any work which adds materially to the value of the holding and is consistent with the purpose , for which it was let, and which. if not executed on the holding, is either executed directly for its venefit or is after execution made directly beneficial to it ; and, subject to the foregoing provisions of this clause, includes.....

(*a*) the construction of wells, water channels, and other works for the supply or distribution of water for agricultural purposes ;

(*b*) the construction of works for the drainage of land, or for the protection of land from floods, or from erosion or other damage by water ;

(*c*) the reclaiming , clearing, enclosing, levelling, or terracing of land ;

(*d*) the erection in immediate vicinity of the holding otherwise than on the village site, of buildings required for the convenient or profitable use or occupation of the holding ;

(*e*) the construction of tanks or other works for the storage of water for agricultural purposes ;

(*f*) the renewal or re-construction of any of the foregoing works, or such a alterations therein or additions thereto, as are not of the nature of mere repairs ;

Provided that such water channels, embankments, enclosures, temporary wells, or other works as are made by tenants in the ordinary course of cultivation shall not be deemed to be improvements."

मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले खेती को अच्छी प्रकार से करने के लिये किसान जो काम करता था वह लैंड की डैफीनीशन में शामिल नहीं था । इसलिये कुछ किसानों को बेदखल भी कर दिया गया । उसको रोकने के लिये इम्प्रूवमेंट के अधिकार दिये गये और अगर किसी सूरत में वह बेदखल भी हो जाता था तो उस इंम्प्रूवमेंट का मुआविज़ा भी रक्खा गया । लेकिन अब हमारे यहां लैंड की डैफ़ीनिशन बहुत व्यापक हो गयी है। पहिले जो हमारी डेफ़ीनिशन थी वह यह थी कि--

"land held for growing crops."....

इसलिये इम्प्रूवमेंट की डैफ़ीनिशन अल्हैदा रखी गयी लेकिन अब जो डैफ़िनीशन रखी गयी है वह इस प्रकार है—

"land held or occupied for purposes connected with agriculture etc."

इसलिये ये जो ५–६ दफ़ायें थीं वे यहां ग़लत रखी हुई थीं। इसको कोई भी सीधा सादा किसान भी समझ सकता है । कोई भी जवाब पहले भी नहीं बना था और मुझे खुशी होगी अगर कोई माकूल जवाब उसका दिया जायगा। जिस लीक में वे पहले थे उसी में वे चलना चाहते हैं । माननीय कमला सिंह जी और गेंदा सिंह जी समझते हैं कि पहले इम्प्रूवमेंट पहले था तो अब भी होना चाहिये। यह जो इसमें से निकाला जा रहा है इसमें कोई न कोई चाल अवश्य होनी

[श्री चरण सिंह]

चाहिये, इससे गवर्नमेंट जरूर कुछ नुक्सान पहुंचाना चाहती है । लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इम्प्रूवमेंट करने का अधिकार तो केवल बेचारे आसामी को ही रह जाता है क्योंकि भूमिधर तो वैसे ही कर सकता है । सीरदार के लिये कोई सवाल ही नहीं उठता और अधिवासी सिर्फ २-४ साल का मेहमान है। अब यह अधिकार सिर्फ़ आसामियों को ही रह जाता है वे वैसे ही इम्प्रूवमेंट करने वाले नहीं हैं लेकिन अगर वे करना चाहते हैं तो कर भकते हैं। लैंड की डैफ़ीनिशन में वह आ जाता है । इसलिये यह ग़ैर जरूरी है ।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ विचार करके इस पर दूसरी तरह की राय देंगे । यह बात जरूर थी कि उस वक्त भी इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन पर वे कुछ सुनना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने अभी जो कुछ उनसे सुना है, मैं एक ही बात उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जब जमींदारी अबोलिशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट आप पास कर रहे थे तो सन् ३९ के कानून की पुस्तक कहीं लायब्रेरी से भूल गयी थी या वह मौजूद नहीं थी पुस्तक ? क्या उस समय उन्होंने इस पर विचार नहीं किया था कि ये ४-५ दफायें जो हैं वे व्यर्थ में इस कानून में लग रही हैं? क्या उस समय उन्होंने किसानों को बहुत समझदार समझा था और समझदार समझ कर ही उन्होंने एक पेचीदा कानून बना दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है ? लेकिन तीन-चार महीने के बाद माननीय राजस्व मंत्री जी की समझ में यह बात आयी कि किसानों का इससे कोई फायदा नहीं है ?

श्री चरण सिंह—मैं दावा नहीं करता कि मैं सर्वज्ञ हूं और मुझसे कभी कोई ग़लती नहीं हो सकती है । ऐसा दावा आप ही कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—उनसे ज्यादा मैं अपने लिये सोचता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा ग़लती हो सकती है । तो जो ग़लती उनसे हुई उन ग़लतियों को मैं आपके सामने रखूंगा । इस जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में मालूम नहीं कि कितनी ग़लतियां हुई हैं। उन ग़लतियों की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये था लेकिन क्या रत्ती भर भी उन्होंने उन ग़लतियों को समझने की कोशिश की है ? इस तरह की बराबर ग़लतियां हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की इजाजत दीजिये, भूमिधर बनाने में उन्होंने मालूम नहीं कि कितना रुपया वसूल किया, और क्या-क्या उनसे वायदे किये । परन्तु भूमिधर बन जाने के बाद उस भूमिधर को बयनामा करने का, इस्तीफा दे देने का, इन सारी चीजों का अधिकार तो देते हैं लेकिन उसको अपनी भूमि बन्धक रखने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार की भूल उन्होंने की है लेकिन उस भूल को स्वीकार करने के लिये वे तैयार नहीं हैं। और दूसरी सुधार वाली धाराओं को निकालने के लिये उन्हें बड़ी जल्दी हुई और माननीय राजस्व मंत्री तथा उनका डिपार्टमेंट एक दम से पिल पड़ा कि जल्दी से जल्दी इन धाराओं को निकाल कर बाहर करें। मैं फिर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा को निकाल देने से कोई लाभ नहीं होगा । उन्होंने कहा कि इससे आसामी का ही सम्बन्ध है जहां तक कि इम्प्रूवमेंट वाली धारा को निकाल देने का सम्बन्ध है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सीरदार के लिये भी इस प्रकार क इस्तीफ़े आदि के बन्धन नहीं हैं? और भी बहुत ही ग़लतियां हो सकती हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । परिभाषा का स्पष्टीकरण न होने से गांव सभा और किसानों के बीच में मुक़दमाबाजी होगी । गांव सभा के अधिकारियों को यह समझ लेना कि वे सारी चीजें, सारा काम दुनियावी मामलों से ऊपर उठ कर करेंगे, मैं ऐसा नहीं समझता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी भी ऐसा नहीं समझते हैं । यह हो सकता है कि डैफ़िनिशन का झगड़ा हो और उस झगड़े के नाम पर किसानों में मुकदमेबाजी हो और गांव सभा तथा किसानों का संबंध इससे ज्यादा खराब हो। इसलिये कुछ दिन तक तो आपको उनका अनुभव करना चाहिये, उनका परीक्षण करना चाहिये और उसके बाद भी यदि उनके सामने कोई कठिनाई आती तो इस धारा को निकाल देते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझने में अभी असमर्थ हूं और सारे सदन के सामने

यह कहना चाहता हूं कि कोई कठिनाई उनके सामने नहीं है। यह मैं नहीं कहना चाहता हूं कि इसमें उनका कोई भीतरी उद्देश्य है क्योंकि इस चीज को वे ही समझते होंगे । इस अंश को निकाल देने से उनका उद्देश्य सफल हो जायगा, यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मुझे यह जरूर मालूम होता है कि कोई न कोई चीज इसके पीछे है.....

**श्री रामनारायण त्रिपाठा**—काग़ज़ की बचत हो जायगी ।

**श्री गेंदा सिंह**—मेरे डिप्टी लीडर साहब कहते हैं कि इसमें काग़ज़ के बचने की गुंजायश हो जायगी । तो मैं फिर दोहराता हूं कि बहुत सी बातें कानून में ऐसी हैं जिनको निकाल देने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नयी चीज करने की जरूरत पड़ेगी । इस कानून के पेश होने के पहले, इस संशोधन पर जो विचार हो रहा है उसके आने के पहले अगर इस पर लोगों से विचार विनिमय हुआ होता, विरोधी दल की बात छोड़ देते केवल अपने ही दल के लोगों से विचार विनिमय करते तो इस संशोधक विधेयक का कुछ दूसरा ही रूप होता । लेकिन नहीं हुआ और न होने की वजह से काफी कमी है और उस कमी को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये । लेकिन मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मान लेने से सिवाय इसके कि संशोधन हमारा मान लिया गया और वह भी मेरा नहीं है कमला सिंह जी का है, माननीय उम्मेद सिंह जी का है और मुझे खुशी है कि इस मामले में माननीय उम्मेद सिंह जी और माननीय ओंकार सिंह जी और हम सब एक साथ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ धाराओं को आवश्यक रूप से रख दिया गया है कि वे निकाल दी जायं लेकिन आवश्यकता है उन धाराओं की कि वे अपने स्थान पर बनी रहें, कुछ दिनों उन पर प्रयोग हो, उनका परीक्षण हो और फिर अगर उसके बाद आवश्यकता समझी जाय तो हटा दिया जाय। मैं जानता हूं कि इस धारा को निकाल दिये जाने से कोई लाभ नहीं है । और सन् १९३९ के ऐक्ट और जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम दोनों की तुलना माननीय राजस्व मंत्री जी ने की है और अब मैं उन दोनों की पुनः तुलना करना मुनासिब नहीं समझता । लेकिन १९३९ में जो कानून हमने बनाया था उस वक्त कुछ बन्धन हमारे सामने थे और उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे और हमको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता पड़ती थी लेकिन आज तो हम खेत जोतने वालों को अधिक से अधिक हक़ देना चाहते हैं और मैं जानता हूं कि उसको देने में माननीय राजस्व मंत्री जी कभी हिचकते भी नहीं हैं लेकिन इसमें जो हक़ उनका कम होने जा रहा है उससे जैसा मैंने कहा कि काफी मुक़दमेबाजी बढ़ेगी और इससे आपस में गांवों में रिश्ते ख़राब होंगे । ऐसे अवसरों की इसलिये इजाज़त न दी जाय और यह होना चाहिये कि कम से कम मुक़दमेबाजी की गुंजायश हो और आवश्यक रूप से मुक़दमेबाजी न बढ़े। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह यह बतायें कि इसके बने रहने से नुक़सान क्या होता है । अगर वे कोई नुक़सान बता देते तो उस पर विचार हो सकता है । लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई नुक़सान नहीं है सिवाय इसके कि वहां से एक चीज को हटाकर दूसरी चीज रख दी जाय।

**श्री चरण सिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दलीलें दी थीं कि भूमि की भाषा जो ३९ के कानून में दी गयी थी और जो इस कानून में दी गयी है बहुत अन्तर है इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है सिवाय इसके कि वह जमाना और था। उस वक्त हम स्वतंत्र नहीं थे । बलिहारी जाऊं इस दलील की और इसका जवाब मेरे पास कोई है नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरा कोई भीतरी उद्देश्य है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से ऐसी आशा नहीं करता था। इसका भी जवाब मेरे पास कुछ नहीं है । रहा यह कि इसमें बहुत सी ग़लतियां हैं मसलन् कि खेत को रेहन दखली करने की इजाज़त भूमिधर और सीरदार को नहीं थी । अब तक यह दलील थी कि रेहन दखली का मसला प्रतिक्रियावादी है लेकिन आज एक दूसरी ओपीनियन है कि आज वह प्रगतिवादी तरीक़ा है । इसका भी मैं क्या जवाब दूं । जजबाती बात है। आखिर में यह भी कहा गया कि सिर्फ उस चीज को हटा कर एक दूसरी चीज रखी जा रही है लेकिन यहां तो सिर्फ एक चीज को हटाया जा रहा है दूसरी उसकी जगह रखी नहीं जा रही है, सिर्फ डिलीशन

[श्री चरण सिंह]

हो रहा है । लिहाजा यह भी ग़लत है । तो मैंने कोई दलील सुनी नहीं जिससे मैं अपनी राय तबदील करने पर विचार करूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (२) का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में:

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ६ का संशोधन।

(१) खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "(गांव की आबादी, खातों और बागों के भीतर स्थित निजी कुओं से भिन्न) कुओं" निकाल दिये जायं; और

उ० प्र० अधिनियम ३, १९४९।

(२) खंड (घ) में शब्द "हो" और "ऐसे" के बीच में शब्द "या १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट के अन्तर्गत कृषि आय पर लगाये गये कर की ऐसे समय की बकाया" रख दिये जायं।

श्री कमला सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ के खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "गांव की आबादी, खातों और बागों" के पश्चात् शब्द "परती में कृषकों द्वारा लगाये गये पेड़ों," जोड़ दिये जायं।

मूल अधिनियम की धारा ६ इस प्रकार है —

"ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि (चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं) बाग़, भूमि, गांव की सीमाओं के भीतर और बाहर के जंगलों, (गांव की आबादी, खातों और बाग़ के पेड़ों से भिन्न) पेड़ों"

यानी कि अब तक जो अधिकार दिये गये हैं काश्तकारों को वह गांव की आबादी के जो पेड़ हैं और खातों के अन्दर हैं या बाग़ों के जो पेड़ हैं उन्हीं के अन्तर्गत हैं। पूर्वी जिलों में बराबर यह कस्टम चला आ रहा है कि परती में भी, जिस वक्त इस प्रदेश में जमींदारी ली गयी उस वक्त जितने पेड़ लगते थे, पेड़ में आधा हिस्सा उनका होता था और आधा हिस्सा उसका होता था और अब तक इस विधेयक के लागू होने के पहले तक बराबर इस अधिकार को उन लोगों ने बरता है। आज यह पहला विधेयक है जिसके जरिये उनके वह कस्टमरी राइट्स जो पेड़ के लगाने के थे वह छीने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब कि आप गांव जो कि बाहर हैं उनमें अधिकार दे रहे हैं तो वह पेड़ जो उन्होंने इतने परिश्रम और पैसे से लगाये हैं उनमें उनको अधिकार मिलना चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस चीज पर विचार करेंगे क्योंकि परती में कृषकों द्वारा लगाये गये पौदे हैं उनमें उनको अवश्य अधिकार मिलना चाहिये।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जरूरी नहीं है। कारण यह कि हमने मध्यवर्त्तियों के अधिकार लिये हैं। किसानों के तो लिये नहीं हैं और माननीय सदस्य का उद्देश्य यह है कि काश्तकारों के लगाये गये जो दरख्त हैं वह उन्हीं के रहें। वह अपने आप उन्हीं के रहेंगे क्योंकि हम उनसे ले नहीं रहे हैं। सारे अधिनियम में इंटरमीडियरी के अधिकार ले रहे हैं। इसलिये इस तरह का एक्सेप्शन करना बिलकुल ग़ैर जरूरी है।

श्री कमला सिंह—विधेयक जो मैंने इस सदन के सामने अभी पढ़ा है उसमें उसके लिये यह कहीं भी डिस्टिंशन नहीं है कि जो जमींदार हैं उन्हीं के पेड़ों के मुताल्लिक़ यह चीज है।

अगर कोई ऐसी चीज हो इस विधेयक को पढ़ कर माननीय मंत्री जी बता दें । तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री चरण सिंह—तभी तो मैं कहता हूं कि वकीलों को अभी बहुत कुछ पढ़ना है । जो वकील यहां आ गये हैं उन को नहीं कह रहा हूं । इसमें यह है । एस्टेट की डिफिनीशन पढ़िये । पृष्ठ तीन पर—

"Estate" means the area included under one entry in any of the registers prepared and maintained under clause (*a*), (*b*), (*c*) or (*d*) of section 32 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 or in the registers maintained under clause (*c*) of the said section in so far as it relates tc a permanent tenure-holder and includes share in or of an estate ;

यह तो मिल्कियत यानी खेवट से मुतल्लिक है। और सेक्शन ४ में यह है—

"As soon as may be.....encumbrances."

यह सेक्शन ४ है । सेक्शन ६ जिसमें आप यह संशोधन करना चाहते हैं वह उसी सेक्शन ४ को रेफर करता है । तो सेक्शन ४ का नोटिफिकेशन करके हमने सब एस्टेट इंटरमिडियरीज की लेलीं। इंटरमिडियरी और एस्टेट से ताल्लुक है, काश्तकार के अधिकारों के लेने का सवाल ही सारे ऐक्ट में नहीं उठता है ।

श्री राजनारायण—आन प्वाइंट आफ आर्डर । मैं यह पूछना चाहता हूं कि एस्टेट के माननीय मंत्री जी ने माने बतलाये कि "एरिया" ।

श्री चरण सिंह—नहीं तो ।

श्री राजनारायण—इसमें लिखा हुआ कि, "आस्थान (एस्टेट) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र (एरिया) से है।" तो क्या वह एरिया जो उत्तर प्रदेश भर में फैले हुये हैं वह ट्रांस्फर हो कर दूसरी जगह चले जायंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसको अगर आप समझ गये हों तो एक्सप्लेन कर दें।

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ के खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "गांव की आबादी , खातों और बागों" के पश्चात् शब्द "परती में कृषकों द्वारा लगाये गये पेड़ों" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

"खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ के खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "धारा १८ की उपधारा (ए) के खंड (क) से (ग) तक में आने वाली भूमि पर लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न" निकाल दिये जायं ।"

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है । मैं समझता हूं कि पिछली मर्तबा कानून बनाने में जिस प्रकार से अनावश्यक रूप से सुधार वाली बहुत सी बफा रख दी गयी थीं उसी तरह से यह एक भूल हो गयी थी कि जो अनावश्यक रूप से दो-चार शब्दों में इसमें हो गयी। अब मैं सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं मैंने राजस्व मंत्री जी का ध्यान भी

[श्री गेंदा सिंह]

इस तरफ दिलाया था और उन्होंने बड़ी आशा भरी मुझसे बातें भी कही थीं और उन्होंने ऐसा सोचा कि तुरंत सेलेक्ट कमेटी में हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ऐसी बात हुई थी कि बाद को सदन में आने पर भी कोई ऐसी बात की जायगी जिससे यह कठिनाई दूर हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन दो चार शब्दों के इस क़ानून में आ जाने की वजह से बहुत अहित होने वाला है। इस समय सारे देश में इस प्रकार की मनोवृत्ति हम देख रहे हैं कि जो सार्वजनिक सम्पत्ति, बाजार, मेले और हाट थे, उनको किसी न किसी तरह से अपनी निजी सम्पत्ति बनाने का कुछ प्रयास हो रहा है और मैं तो उस जगह का निश्चित तौर पर नाम बतला सकता हूं कि वहां पर यह सार्वजनिक सम्पत्ति जो हैं उनको अपनी सम्पत्ति बनाने में लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो इसमें से यह शब्द निकाल नहीं दिये गये और यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया तो सार्वजनिक सम्पत्ति को लोग अनावश्यक रूप से अपनी सम्पत्ति बनाने की चेष्टा करेंगे और उसमें एक झगड़ा खड़ा होगा कि जो बड़ी भारी सार्वजनिक सम्पत्ति है उसके छिन्न-भिन्न हो जाने का अन्देशा है। इस वक्त हो यह रहा है कि लोग जिस जमीन पर बाजार पहले लगाते थे, उस बाजार को अपनी जमीन में, बाग़ में लगा लेने के लिये, जो भूमिधर लोग हैं वह बाग़ में लगा लेने के लिये या अपने किसानों की और दूसरी जमीन में लगा लेने के लिये कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में वह, पूरी तौर से कामयाब हो या न हो लेकिन यह बात जरूर है कि जो पुरानी जगह पर बाजार लगते थे, मेले लगते थे, या हाट लगते थे उनको कुछ इधर-उधर उजाड़ लेने में तो वह सफल हो ही जाते हैं और फिर दूसरी बात और भी होती हैं कि वह प्रलोभन दे सकते हैं कुछ थोड़े दिनों के लिये कि बाजार वाले दूकान जो लगाते हैं, या जो मेले में दुकानें लगाते हैं, या जो हाटों में दुकानें लगाते हैं उनको वह यह बतलायें कि तुम हमारे यहां अगर आ जाओगे तो तुमको कोई कर नहीं लगायेंगे और स्वेच्छा पूर्वक कंज्यूमर्स से भी पैसा ले लेने की पूरी छूट रहेगी, कोई नियम कानून नहीं लागू होगा और अगर इस तरह के मेलों और बाजारों में बैठोगे जो सरकार द्वारा नियन्त्रित होती हैं तो वहां पर तुमको कानून की पूरी पाबन्दी करनी होगी। इसलिये अगर हमारे यहां बसते हो तो बड़ा लाभ होगा, कोई कर नहीं देना पड़ेगा और दूसरे बेजा तरीके से कंज्यूमर्स से पैसा वसूल कर सकते हो। उसमें किसी कानून की पाबन्दी नहीं करनी होगी। इसलिये यह बाजार, हाट आदि लगते हैं। तो दो दृष्टि से इस पर विचार माननीय अध्यक्ष महोदय, करना चाहिये। एक तो यह कि सार्वजनिक सम्पत्ति के नष्ट-भ्रष्ट होने का अन्देशा है और दूसरे यह कि कंज्यूमर्स जो हैं, उपभोक्ता जो हैं उनके ऊपर बेजा तरीके से दबाव डालने और पैसा वसूल करने की बात भी हो सकती है और फिर दूसरी बात जब इस तरह के बाजारों, मेलों और हाटों को उठाने की प्रक्रिया जारी रहेगी तो यह निश्चित है कि जो गांव सभा आज ईमानदारी से काम करना चाहेंगी वह ऐसे बाजारों, मेलों को अपने यहां से उठने नहीं देंगी। यह प्रश्न हो सकता है कि गांव-सभा अपने मेलों और बाजारों में अच्छा सलूक करें और अच्छा सलूक करके कहें कि तुम यहां आबाद रहो। लेकिन इतना करने पर भी यह हो सकता है कि कुछ थोड़े दिन के लिये कोई बड़ा आदमी हो, जो हमेशा से वहां का जमींदार रहा हो, जिसने बहुत सी सम्पत्ति कमाई हो, वह कुछ दिन के लिये उस गांव सभा को नीचा दिखाने के लिये, उस सार्वजनिक सम्पत्ति को ठेस पहुंचाने के लिये, नष्ट करने के लिये, बर्बाद करने के लिये प्रलोभन में कुछ पैसे खर्च करे और उनको इतनी छूट दे दे कि गांव सभा की हैसियत के बाहर की बात हो। किसी प्रकार भी गांव सभा की हैसियत न हो कि उस बड़े आदमी का सामना कर सके। तो फिर ऐसी हालत में यह एक शासन और व्यवस्था की बात भी पैदा हो सकती है, एक झगड़ा खड़ा हो सकता है और ला ऐंड आर्डर का सवाल वहां पर खड़ा हो सकता है अगर गांव सभा ने मजबूती के साथ अपने मेलों, बाजारों हाटों को उठने न देना चाहा तो ऐसी हालत में एक थोड़े भ्रम से, थोड़ी गलती से एक

बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो सकता है। इस लिये मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करके इसको हटा देना चाहिये। एक बात जरूर कही जाती है जिसका जिक्र मैं पहले ही कर देना चाहता हूं कि कुछ वादे किये गये थे उस जमाने में जब भूमिधर लोगों को बनाया गया था लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री से और मैं उनके भाषण की प्रतिलिपि रखूंगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस तरह की सम्पत्ति भूमिधारी की नहीं होगी। वह इसको यह कह सकते हैं कि वह इस लेजिस्लेचर या इस भवन का अंश नहीं हो सकता है लेकिन इतना जरूर है कि वह भाषण उन्होंने बहैसियत मंत्री दिया था। उन्होंने इस बात को कहा था कि भूमिधरी के संबंध में, भूमिधर बनने के लिये जो उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन दिया था उसके सिलसिले में कहा था कि बाजार, हाट या मेले उनकी निजी सम्पत्ति नहीं होंगे। तो ऐसी हालत में कोई ऐसी बात नहीं उठती कि वह उनके वादे के खिलाफ जाता हो और अगर वादे के खिलाफ जाती भी हो तो इस पर दूसरी दृष्टि से उनको विचार करना चाहिये और उस खतरे को देखते हुये इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, बहुत हद तक मैं उनकी भावना से हमदर्दी रखता हूं लेकिन जिस तरह का वह संशोधन है वह मंजूर नहीं किया जा सकता और उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि भूमिधर को हमने अख्तियार दफा १४२ में यह दिया है कि वह अपनी जमीन का जो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग पहले जमींदार थे अगर उनकी सीर खुदकाश्त और बाग के अन्दर मेले लगते थे और हम उनको भूमिधर बनाने जा रहे थे और भूमिधरी के अधिकारों में एक अधिकार यह था कि अपनी जमीन का वे जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं तो तर्क से यह सिद्ध हुआ कि अब जो वह इस्तेमाल अपनी जमीन का कर रहें हैं, ऐसा इस्तेमाल करने का उनका हक आगे से कम हो गया। लिहाजा जो उनकी सीर, खुदकाश्त और बागात पर मेले, हाट, बाजार लग रहे हैं, उनको नहीं एक्वायर किया गया। इसी लिये उनको इसका कम्पेन्सेशन भी नहीं दिया जा रहा है। ग्रास असेट्स का जो नक्शा धारा ३९ के अधीन तैयार होता है उसमें हाट, मेले और बाजारों से जो उनको आमदनी होती है वह आमदनी उसमें शामिल नहीं है। खैर यह तो मैंने बतलाया कि किस वजह से यह रखा था।

माननीय गेंदा सिंह जी यह चाहते हैं कि हाट, बाजार और मेले जो सीर खुदकाश्त और बाजार पर लग रहे हैं वे भी अक्वायर कर लिये जायं। ठीक है। अगर अक्वायर हम करना चाहेंगे तो उसके लिये उनको मुआविजा देना पड़ेगा। एक दूसरी बात यह है कि भूमिधर को जब हमने अधिकार दिया है कि अपनी जमीन का वे जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी अपवाद करना पड़ेगा, उसमें एक्सेप्शन हमको करना पड़ेगा, आया यह हम कानूनन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और उसे करने से यह सारी स्कीम जो है उस पर कहां तक अन्तर पड़ता है ये ऐसी बातें हैं जिन पर सिलेक्ट कमेटी में बहुत गौर हुआ था लेकिन कठिनाई यह है कि कोई हल नहीं निकल पाया। जो कठिनाई बतलाई गई वह यह है कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति है और एक व्यक्ति के हाथ में है। जहां तक सार्वजनिक सम्पत्ति उनका कहना है, यह तो गलत है। जनता के लोग आते हैं और वहां सामान खरीदते हैं, दूकानदार वहां बैठते हैं। एक प्राइवेट व्यक्ति की जायदाद पर हाट, बाजार, और मेले सार्वजनिक दिलचस्पी की चीजें हैं, सार्वजनिक फायदे की चीजें हैं, यह कहा जा सकता है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वें सार्वजनिक सम्पत्ति हैं। मेरे पास शिकायतें ऐसी आयी हैं कि बहुत जमींदारों ने यह देख कर कि इस अधिनियम में हमें सीर, खुदकाश्त और बागात में अपने मेले कायम रखने की इजाजत है, बहुत जगह फर्जी खुदकाश्त लिखवा ली, बागात नहीं थे तो बागात दर्ज करा लिये। खैर यह तो वाकयाती बात रही। अगर वह फर्जी है तो वह तो काटा जा सकता है और अगर वहां खुदकाश्त और बाग नहीं था तो वह गवर्नमेंट में वेस्ट कर गया, वह

[श्री चरण सिंह]

जमीन ही वेस्ट कर गयी और हमने वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इंतजाम के लिये दे दिया। यह तो वाकयाती बात रही लेकिन इससे यह जरूर साबित होता है कि जमींदारों की यह कोशिश है कि हाट, मेले और बाजार स्टेट में और स्टेट के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इंतजाम में न पहुंच जाने चाहिये। उनकी आमदनी वे अपने पास रखना चाहते हैं चाहे उसके लिये ऐसे तरीके अख्तियार करने पड़ें जो जायज न कहे जा सकते हों। माननीय गेंदा सिंह और इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों की यह जो आकांक्षा है कि यह हाट, मेले और बाजार क्योंकि सार्वजनिक दिलचस्पी की चीज है, वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जाय, जैसा मैंने अर्ज किया माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी उसके साथ पूर्ण सहानुभूति है।

लेकिन सारा सवाल यह है कि आखिर वह किस प्रकार किया जाय। तो उस पर हमारा मुहकमा विचार कर रहा है और एक किसी खास नतीजे पर हम पहुंचे भी हैं। लेकिन मैं उस सिलसिले में वादा करना नहीं चाहता हूं। यह जो ज्यादातर आमदनी होती है हाट, मेले और बाजारों में वह जो कैटिल मार्केट्स हैं यानी जिन मेलों में पशु बिकते हैं उनसे ही ज्यादा आमदनी होती है। मुझको मालूम है कि बाज-बाज जमींदारों को २० हजार रुपये तक की आमदनी एक एक मेले और हाट से थी। जो दूसरे किस्म के बाजार हाट और मेले हैं उनसे ज्यादा आमदनी नहीं होती है। तो एक कोई कैटिल मार्केट रेगुलेशन ऐक्ट बनाया जा सके इस पर काफी विचार किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि आया वह कानून मुमकिन होगा या नहीं और अगर मुमकिन होगा तो क्या उसके प्राविजन्स होंगे। मैं इस सिलसिले में किसी तरह का कोई कमिटमेंट सदन के सामने करना नहीं चाहता हूं। केवल यह जाहिर करना चाहता हूं कि जो मसला माननीय गेंदा सिंह जी के दिमाग में है और बहुत से मित्रों की उनके साथ हमदर्दी है उस बात पर गौर हो रहा है। लेकिन इसके मंजूर करने से जहां भूमिधर को सारे अधिकार दिये हैं एक तो उस पर फर्क पड़ता है और दूसरे यह कि अगर इस संशोधन को माना जाय तो जो वैसे भूमिधर बने हुये हैं, यानी जो काश्तकार दस गुना दे कर के भूमिधर बने हैं वे तो अपनी जमीन पर हाट, बाजार वगैरह रख सकते हैं क्योंकि दफा ६ तो यह है कि इंटरमीडियरीज की जायदाद जब ली जा रही है तो उसके साथ-साथ क्या-क्या चीज स्टेट में निहित हो रही है वहां ये चीजें गिना दी गयीं और ये चीजें निकाल दी गयीं कि उनकी सीर खुदकाश्त और बागात पर जो हाट, मेले, बाजार हैं उनको एजेंम्ट कर दिया गया। तो अगर यह मान लेते हैं तो जो पहले जमींदार थे और अब भूमिधर हो गये उनके हाट बाजार और मेले तो गवर्नमेंट में वेस्ट हो गये, मुआविजे का सवाल तो अलग रहा, और जो दूसरे भूमिधर हैं उनको यह अधिकार रहेगा क्योंकि हमने भूमिधर को अधिकार दिया है कि वह जैसे चाहे अपनी जमीन का इस्तेमाल करे। तीसरी बात यह है कि बहुत सी सार्वजनिक संस्थायें ऐसी हैं जो मेले और बाजार लगाती हैं, मसलन् रामलीला कमेटी और इसी तरह से बहुत से मंदिरों के सिलसिले में मेले लगते हैं और वह किसी आस्थान पर लगते हैं। तो इसका मतलब तो यह होगा कि वह मेले और बाजार जो हैं जिनको इस तरह से सार्वजनिक संस्थायें कराती हैं या जो उनके हित में किये जाते हैं वे भी वेस्ट हो जायंगे तो इसलिये इस संशोधन से काम नहीं चलता है। वैसे तो मैंने कह ही दिया कि उनकी भावना के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है और मैं आशा करता हूं, खैर आशा क्यों करूं, खामख्वाह निराशा में तब्दील होगी, कि वह वापस ले लें, मैं कहना नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, यह जो गेंदा सिंह जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं खुद यह समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं कि माननीय मंत्री जी, जब गेंदा सिंह जी ने बड़े सरल और सीधे तरीके से इसका मतलब समझाया उसके बावजूद भी समझ सकने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं। इससे राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और सरकार की और गांव पंचायतों की आमदनी भी बढ़ सकती है जिसके लिये बार-बार इस सदन में चर्चा की जाती है कि

गांव-सभाओं के पास आमदनी नहीं है वे अपना काम कैसे चलायें। उन सब का सीधा साधा जरिया यहां पर खुल जाता है अगर इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मान लें। श्रीमन्, आज कल एक पालिटिक्स में एक नयी टेक्निक चल गयी है और वह नयी टेक्निक यह है कि कुछ बातें कह दी जानी चाहिये कि हम भी उदारता के साथ उस पर विचार करेंगे और हम भी ऐसा ही सोचते हैं। ताकि वह भ्रम दूर न हो और सरकार की इच्छा मालूम हो आम पब्लिक को कि मंत्री जी भी इसी भावना के समर्थक थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार से कि आखिर कौन सी ऐसी बाधा है जो जैसा उन्होंने रखा और उनकी इच्छा हुई उसको कानून का स्वरूप न दे दिया जाय। मैं देखता हूं कि जब कभी जो भावना हुई और इच्छा हुई उसको कानून का स्वरूप दे दिया गया। मैं आपकी आज्ञा से माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसी शब्दावली कह कर भ्रम में डालने की कृपा न किया करें। मुझे तो बहुत परेशानी होती है जब उनकी यह इच्छा है कि जितने हाट और बाजार हैं चाहे वह भूमिधरी में हों या सीरदारी में हों वह हाट और बाजार सार्वजनिक माने जायं तो कानून में श्रीमन्.....

श्री चरण सिंह—मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री राजनारायण—आपकी इच्छा न हो लेकिन सरकार का यह कहना है। सरकार की भी यह इच्छा है कि जो श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन है उसकी स्प्रिट को व मानती है लेकिन उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। जब यह बात सिलेक्ट कमेटी में आई तो वहां पर उसकी यह राय.....

श्री अध्यक्ष—वहां की बात आप यहां न कहें।

श्री राजनारायण—जी हां, वहां की बात मैं नहीं कह रहा हूं। तभी से हम लोग खोज कर रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट्स की ओपीनियन ली जा चुकी है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की इच्छा है। अगर सरकार की इच्छा न हो तब तो वह कह सकती है कि सरकार की इच्छा नहीं है। जैसा कानून है वैसी इच्छा है। लेकिन श्रीमन् सरकार की जब जो इच्छा होती है तब वही कानून बन जाता है। एक बात जरूर स्पष्ट हुई है उसके लिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वह उनके मुखारबिन्दु से निकले हुये शब्द हैं कि स्कीम जो है उसमें कहीं बाधा तो नहीं पड़ेगी। स्कीम क्या है वह उन्होंने समझाई नहीं। उस स्कीम को मैं बतला देना चाहता हूं स्कीम श्रीमन् सरकार की यह है कि जिस तरीके से वह कानून को रख रही है कि जो भूमिधर, सीरदार और जमींदार हैं उनको एक न एक तरीके से क्योंकि काम हो चुका है और जमीदारी जो टूटी हैं वह नाम मात्र के लिये टूटी हैं और उनके कुछ न कुछ अधिकार तो कम हुये ही हैं तो जो उनकी यह आमदनी के साधन हैं वह उनके हाथ में सुरक्षित रहें, इसके सिवाय कोई दूसरी मनोवृत्ति या स्कीम इस सरकार की नहीं है। यही सरकार की स्कीम है कि आमदनी पैदा करने की ताकत उन्हीं के हाथ में रहे। क्या वहां हम जमींदारों के एजेंट हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझा कि आपका भाषण खत्म हो गया है।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी को सहूलियत देने के लिये मैं बैठ गया था। वह शायद ऐसा कह रहे थे कि जमींदारों का एजेंट हूं। क्या यह बात है यदि यह बात है तो मैं आपकी आज्ञा से यह बात बतला देना चाहता हूं कि सदन में ऐसे अनेक अवसर प्राप्त हुये हैं कि सदन में और सदन के बाहर दुनियां जानती है कि जमींदारों का एजेंट कौन है और कौन उनकी एजेंटी करता है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—जमींदार कोई नहीं है।

श्री चरण सिंह—मैंने क्या कहा ? आप जो यह कह रहे थे कि जमींदारों की आमदनी बनी रहे, यह मनोवृत्ति है, यह इच्छा है। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि हम एजेंट हैं। लेकिन इसको आप अपने ऊपर कैसे समझ गये। यह बात चिपक रही है कहां ?

श्री राजनारायण—ठीक है मुझे खुशी हुई कि अपने को माननीय मंत्री जी ने पहचाना, तो मैं श्रीमान् आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री ने भवन का ध्यान आकर्षित किया है, वह बात यह है कि एक अन्तर उन्होंने बताया है। भूमिधरों को कुछ अधिकार दिये गये हैं, कुछ जमींदार स्वतः भूमिधर हो गये लेकिन कुछ नये भूमिधर होंगे। अगर माननीय गेंदा सिंह जी का यह संशोधन मान लिया जाता है इसके मानने से भूमिधरों पर भी एक पाबन्दी लग जायगी यह सही है। तो जहां तक इस संशोधन को हम समझ पाये हैं और जहां तक माननीय गेंदा सिंह जी की इच्छा है वह नहीं चाहते कि इक्विटी कहीं भी स्टेब हो। संशोधन पर बोलते हुये उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हाट बाजार, हाट की आमदनी सार्वजनिक हित में खर्च हो, तब उनके कहने का साफ साफ मतलब यह था कि चाहे नये भूमिधर हाट व बाजार लगावें या जो पुराने जमींदार जो इस सरकार की अनुकम्पा और उदारता से बिना एक पैसा दिये हुये स्वतः भूमिधर बन गये हैं वह हाट बाजार के मालिक हों तो उससे जो आमदनी हो वह सार्वजनिक हित में खर्च हो, एक व्यक्ति के लाभ के लिये खर्च न हो। यह तो साधारण नियम है कि जो भी नियम बने वह नियम समान हो, इसीलिये श्रीमान मैंने पहले भी आपके जरिये से निवेदन किया था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो यह कमी भी दूर हो जायगी लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। तो मैं आपके जरिये से पुनः सरकार से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जरा उदारता तो दिखलायें। हाटों से बहुत आमदनी होती है। जरा इसका अन्दाज लगाया जाय और आंकड़े एकत्रित करने की कोशिश की जाय तो मालूम होगा कि बाजारों और हाटों के जरिये जो निकासी आती है वह कम से कम तीन-चार हजार सालाना की होती है। मैं अपने निजी तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि अगर तरकारी और मामूली सामान भी किसी जगह पर आ कर बाजार बना कर रख दिया जाता है तो उसकी साल भर की जो आमदनी होती है वह दो तीन हजार के बीच की होती है। उत्तर प्रदेश में कितने बाजार हाट हैं। सरकार की ओर से इसके आंकड़े प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे। बाजारों के जरिये जो विनिमय हो रहा है उस विनिमय के जरिये कितनी आमदनी जमींदारों को होती है इसका पता अगर माननीय राजस्व मंत्री को होता तो मैं समझता हूं कि वह मेरे इस संशोधन को अवश्य मान लेते। उन्होंने यह कोशिश नहीं की कि अगर ये बाजार और हाट व्यक्तिगत हाथों में छोड़ दिये जायंगे तो उनके जरिये उन व्यक्तियों के पास कितनी बड़ी रकम चली जायगी और अगर वह बड़ी रकम ग्राम पंचायतों को मिले, टाउन एरियाज को मिले, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज को मिले या अन्ततोगत्वा वह राजस्व में आये तब तो हम समझ सकते थे। सरकार को आसानी हो जाती और उदारता के साथ वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार करती। लेकिन हमें तो श्रीमन् बहुत परेशानी और हैरत होती है और हमारी परेशानी बढ़ती जाती है जब एक नये किस्म के भूमिधर को आप और बढ़ाना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—अभी आप और समय लेंगे ?

श्री राजनारायण—जी हां।

## ४ बजे सदन को स्थगित करने का सुझाव

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव यह है कि आज एक जगह सब को जाना है, साइन्स कांग्रेस यहां पर हो रही है और उसमें बड़े-बड़े विद्वान आये हुये हैं और उनके सम्मान में आज एक चाय पार्टी भी है। उसमें सभी माननीय सदस्यों को भी बुलाया गया है। तो मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि अगर हाउस राजी हो तो आज ४ बजे इस हाउस को स्थगित कर दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जी हां, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं चाहे सम्मानित सदस्यों को बुलावा न होता और माननीय राजस्व मंत्री जी को ही बुलावा होता तब भी हम इस बात को मानने के लिये तैयार होते।

श्री अध्यक्ष—आज सदन की कार्यवाही ४ बजे स्थगित हो जायगी ।

( इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। )

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि यह जो हाट, बाजार आज व्यक्तिगत हाथों में छोड़े जा रहे हैं उसी को दूर करने के लिये माननीय श्री गेंदा सिंह का संशोधन है और हमारी कोशिश भी थी कि इस बीच में माननीय मंत्री जी से मिल कर जरा उनको और समझावें, उन से निवेदन करें कि यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और एक आर्थिक दिक्कत जो प्रगति के लिये बहुत बड़ी बाधा है वह भी उससे दूर हो सकती है और उस समय माननीय मंत्री जी से निवेदन करने का हमारा विश्वास और दृढ़ हुआ जब कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि वह इस संशोधन की स्प्रिट को क़बूल करते हैं। मैं समझता था कि हमारी बात कारगर होगी बअसर होगी और माननीय मंत्री जी सहर्ष बिना इस सदन का समय और ज्यादा देर तक इसी सवाल में लगाये हुये, हमारे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे, अब फिर इस समय भी उसी आशा से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा निर्दोष संशोधन है और अगर सरकारा की यह इच्छा भी है और माननीय मंत्री जी भी इसके भाव से इसकी स्प्रिट से सहमत हैं तो इसको उन्हें स्वीकार करना चाहिये । मैं यह कह रहा था कि अगर सारे सूबे की आमदनी का एक लेखाजोखा किया जाय तो उसमें कई लाख रुपया गांव पंचायतों के लिये उनके सारे कामों में सद्उपयोग करने के लिये इन हाट बाजारों से मिल सकता है ।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—रिपीटीशन सा हो रहा है ।

श्री राजनारायण—हमारे माननीय श्री द्वारकाप्रसाद जी मौर्य सदन में इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि रिपीटिशन न हो । मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिपीटिशन नहीं हो रहा है । हम ने तो उन को केवल यह बताने की कोशिश की है कि हाट, बाजारों से कितना रुपया कितनी आमदनी इस प्रदेश में हो सकती है और वह रुपया सार्वजनिक निर्माण के कामों में, स्वास्थ्य वर्धन के काम में, शिक्षा आदि के प्रसार में व्यय करने के लिये आ सकता है। अगर हिसाब लगावें तो वह रक़म लाखों के ऊपर जाती है, जो इतनी बड़ी धनराशि हो और जिसके लेने में किसी को कोई उज्र भी न हो और अगर हो भी तो वह होना न चाहिये । ब्रिटिश सरकार उसको लेने से हिचकती आयी है लेकिन इस सरकार के जमाने में वह रक़म क्यों न ली जानी चाहिये ? इस के बारे में अगर हमारे माननीय मौर्य जी हमें कुछ समझा दें तो मैं भी मान लेता कि वाक़ई रिपीटीशन हो रहा है । मैं श्रीमन्, आप की इजाजत से यह कहना चाहता हूं और माननीय द्वारका प्रसाद जी से खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि इस सदन से बाहर भी हमने उनसे काफ़ी चर्चा की है और इस बात को समझते हुये चर्चा की है कि वह माल विभाग के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं और मैं इसीलिये उनकी खिदमत में यह समझाने के लिये हाजिर हुआ था कि वह सरकार को इस सवाल पर किसी तरह से राजी करें। लेकिन हमारी यह कोशिश सब बेकार हुई तभी हम इस संशोधन का समर्थन करने के लिये प्रस्तुत हुये हैं। मेरी परेशानी बढ़ जाती है जब कि ऐसे सुलझे हुये लोग जो कि जमींन से संबंधित सभी मामलों को खूब समझते हैं, हाट, बाजारों के मुताल्लिक़ सभी बातों को अच्छी तरह

[ श्री राजनारायण ]

समझते हैं, ऐसी बातें करते हैं । मैं फिर आग्रह और निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को मानने में सरकार की, सदन की और सभी की प्रतिष्ठा है और आमदनी का जरिया इससे बचता है । कई लाख रुपया विकास के कार्य के लिये मिलता है । इसलिये इस संशोधन के मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यदि आपत्ति है तो सरकार को दोहरी नीति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये कि स्प्रिट में वह इस संशोधन को मानती है लेकिन वैधानिक स्वरूप देने में लाचारी है । नये क़ानून में अधिकार रहता है कि भूमिधरी के राइट लोगों को मिले हुये हैं और यह बात मंत्री जी के रास्ते में बाधा नहीं डाल सकती । हाट बाजार का अधिकार वैयक्तिक हाथों में रहने देने के हम विरोधी हैं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि सार्वजनिक हित किसे कहते हैं। मैं उनके इस तर्क को सुन कर स्तब्ध रह गया और बड़ी परेशानी हुई कि वे सार्वजनिक हित किसे मानते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह संशोधन सार्वजनिक हित की दृष्टि से ही रखा गया है। जो लोग वैयक्तिक दृष्टि से इस विधेयक पर विचार करते हैं उनकी आंखों में यह संशोधन शूल की तरह खटक सकता है मगर जो आगे चलने के लिये, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उनके लिये इस संशोधन पर तनिक भी उंगली उठाना और इस संशोधन के विरोध में तर्क-वितर्क उपस्थित करना अनुचित है । मैं अब ज्यादा तर्क न उपस्थित करते हुये सरकार से यही चाहता हूं कि इस संशोधन से लाभ होंगे वह उन पर विचार करें और मैं चाहता हूं कि सभी सम्मानित सदस्य विचार करके तर्कों का बोझ सरकार पर रखें ताकि वह इस संशोधन को मान ले। इतना कहने के बाद मैं यह आशा लिये हुये बैठता हूं कि माननीय मंत्री जी और उनकी पार्टी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेगी और इस संशोधन को क़बूल करेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । वैसे तो माननीय राजस्व मंत्री के भाषण के बाद मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती परन्तु हमारे सोकाल्ड एजेंट ने जो कुछ कहा है कम से कम मुझे उनकी मदद में कुछ कहना ही है । नहीं तो सारा कामका भार एजेंट पर ही पड़ जायगा और शायद इस भवन में भी पुरानी ताल्लुक़ेदारी चलने लगेगी । श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने इस संशोधन को अत्यन्त महत्वपूर्ण बतलाया है । मैं उनकी कहावत को मानते हुये इतनी ही बात कहूंगा कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यन्त अन्यायपूर्ण भी है । माननीय नेता विरोधी दल ने बार बार यह कहा कि राजस्व मंत्री जी को इस संशोधन की स्प्रिट से सहानुभूति है ।मुझे नहीं मालूम कि माननीय राजस्व मंत्री या सरकार की सहानुभूति को उन्होंने कैसे इंटरप्रीट किया है। अपने भाषण में माननीय राजस्व मंत्री ने जो कुछ कहा उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि जहां तक हाट और बाजारों का प्रश्न है उनको सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता । श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने 'ला आफ इक्विटी' की बात कही । मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक यह हमारा संविधान मौजूद है तब तक वे कौन सा 'ला आफ इक्विटी' चलाना चाहते हैं, हां ? यह मैं मान सकता हूं कि अगर सरकार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की हो तो वह प्राइवेट प्रापर्टी को ही न रहने दे और तब वे जो भी करना चाहते हैं करें लेकिन जब तक भारतवर्ष में यह नहीं होता और जब तक हमारे संविधान में प्राईवेट प्रापर्टी का सिद्धांत है तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार उनका 'ला आफ इक्विटी' लागू हो सकता है ? और किस प्रकार प्राइवेट प्रापर्टी सार्वजनिक प्रापर्टी मान ली जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि भूमिधर, भूमिधर में क्या अन्तर है । इतनी बात तो मैं समझ सकता हूं कि या तो पहले ही जमींदारों को भूमिधर नहीं बनाना था, जमींदारों को कंपेन्सेशन नहीं देना था, या जमींदारों को बिलकुल खत्म ही कर देना चाहिये था परन्तु जब उनको जमींन पर अधिकार दिये गये हैं उनको भी भूमिधर बनाया गया है तथा कुछ लोगों को १० गुना देकर भी भूमिधर बनाया गया है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि वह कौन सा 'ला आफ इक्विटी' है जो इन दोनों भूमिधरों में अंतर करता है । अब माननीय नेता विरोधी दल और श्री गेंदासिंह यह कहें कि चूंकि जमींदारों को ५ रुपया फायदा होता है इसलिये यह फायदा काश्तकार को भी नहीं होना चाहिये, यह कोई न्यायसंगत तर्क नहीं है ।कहा यह

गया कि कुछ जमींदारों की आमदनी का सिद्धांत सरकार बनाये रख रही है । मैं पूछता हूं कि क्या जमींदार इस भारत वर्ष के रहने वाले नहीं हैं, क्या जमींदारों की दाल रोटी के प्रबंध करने का भार सरकार पर नहीं है ? अगर कोई जमींदार अपने बाग़ में हाट या बाजार लगाता है तो वह पब्लिक पापर्टी कैसे हो गयी ?

अपने तर्कों में माननीय नेता विरोधीदल ने यह भी कहा कि लाखों रुपये की आमदनी इससे होगी। श्रीमन्, क्या मैं पूछ सकता हूं कि एक जुलाहा है जो करघे पर कपड़ा बुनता है और बाजार में जाता है, उससे उसको दो रुपया आमदनी होती है लेकिन सब बाजारों से वहां के जुलाहों को भी लाखों रुपये की आमदनी हो सकती है । इस तरह एक लुहार है, वह लुहारी का सामान बना कर बेचता है, वह दो रुपया रोज कमाता है तो लोहारों को भी लाखों रुपया की आमदनी हो सकती है । फिर इस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का 'ला आफ इक्विटी' क्या है ? कितनी ही चीजें हमारे भारत में ऐसी हैं जिनको प्राइवेट प्रापर्टी समझा जाता है तो क्या उनको भी सरकार अपने हाथ में ले ले ? या उनकी आमदनी को ले ले ? मैं जानता हूं उधर से यह कहा जायगा कि एक जुलाहा या लोहार या एक बढ़ई जो अपनी मेहनत से कमाता है और एक जमींदार, या भूमिधर अपने बाग़ में बाजार लगाता है तो उससे उसकी आमदनी कम्पेयर नहीं की जा सकती है । क्यों नहीं कम्पेयर की जा सकती है, श्रीमन् ? मान लीजिये कि मैं अपनी ही जमीन पर जो लखनऊ के नजदीक है उस पर दूकान बनाना चाहता हूं और उन दूकानों को किराये पर देदूं तो क़रीब-क़रीब वही चीज हुई जैसे हमने अपने बाग़ पर बाजार लगा कर उसकी आमदनी से अपना तथा अपने बच्चों का पालन करें । तो अब यह कहना कि चूंकि जमींदार थे और जमींदारी की जमीन इनके पास छोड़ी गई थी, उस पर ये दूकान बना रहे हैं, या कोई मिल खोल रहे हैं या चक्की लगा कर उससे आमदनी ले रहे हैं इसलिये यह सार्वजनिक आमदनी है और उससे जनता के पास जाना चाहिये उचित नहीं मालूम होता । उधर तो कहा जाता था कि जमींदार निकम्मे हैं, जमींदार कोई काम नहीं करते और वे दूसरे की कमाई हुई रोटी खाते हैं और अब जब जमींदारी नहीं रही अपनी प्राइवेट प्रापर्टी किसी तरह से किसी को तंग करके नहीं, किसी को नुक़सान पहुंचा कर नहीं बल्कि शायद पब्लिक को फायदा पहुंचा कर ही अपने बच्चों के जीवन का भरण-पोषण करने के लिये कमाते हैं तो कहा जाता है कि वह सार्वजनिक स्थान है । मेरी समझ में यह भारत का ला आफ इक्विटी नहीं है । इसलिये श्रीमन्, मैं इस भवन से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक प्राइवेट प्रापर्टी का मामला हमारे संविधान में साफ नहीं होता, जब तक यह तय न हो जाय कि प्राइवेट प्रापर्टी रहना चाहिये या नहीं और जब तक संविधान में प्राइवेट प्रापर्टी का स्थान है तब तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के इस तरह के संशोधन या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के इस तरह के सुझावों का जवाब केवल इतना ही हो सकता है कि जब वे स्वयं उन बेंचों पर बैठें तब विधान को बदल सकते हैं इसके अलावा जब तक प्राइवेट प्रापर्टी किसी के पास है वह रहेगी और उसकी जो इनकम है वह सार्वजनिक इनकम कभी मानी नहीं जा सकती है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथी गेंदा सिंह का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय राजस्व मंत्री के अतिरिक्त माननीय सुरेश प्रकाश सिंह का भाषण माननीय मन्त्री जी के भाषण के अनुकूल ही हुआ और मैं समझता यह था कि जब संयुक्त दल की ओर से माननीय गेंदा सिंह के संशोधन का विरोध किया जायगा तो माननीय राजस्व मंत्री के अतिरिक्त संयुक्त दल के माननीय सदस्य जरूर साथ देंगे । मेरा अनुमान भी वही उतरा कि माननीय राजस्व मंत्री का संबंध माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी से ज्यादा नजदीक है और उस नजदीक का यही प्रमाण है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री जी और माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी के भाषण को बहुत ही सावधानी के साथ सुनता रहा । एक वाक्य माननीय माल मंत्री जी और सार्वजनिक माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी दोनों का ही है किये हाट और बाजार किस प्रकार से

[ श्री रामसुन्दर पांडेय ]

सार्वजनिक स्थान माने जायंगे ? आया माने जायंगे या दूसरी ओर से शंकायें हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन बहुत ही ताज्जुब में पड़ा होगा, जो लोग कि गांवों के रहने वाले हैं, मैं नहीं जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी गांव के रहने वाले हैं या किसी कस्बे के रहने वाले हैं, और माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी शहर के रहने वाले हैं या गांव की एक झोपड़ी के रहने वाले हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन के कई सम्मानित सदस्य जो गांवों के रहने वाले होंगे और जो सदा से ये नारे लगाते आये होंगे कि गांव इस देश की, इस राज्य की इकाई होने चाहिये और जिसको अपने पैरों पर सिर्फ खड़ा होना चाहिये, उसकी आमदनी राज्य की ओर से, गांव की ओर से मिलनी चाहिये ताकि गांव की सरकार स्वयं अपने ऊपर अवलम्बित हो सकें। गांव के भले केस मिये, वहां की जनता की भलाई के लिये कर लगायें और वह स्वयं उस गांव की या सरकार से जो लिछ भी टैक्स वसूल होता हो उस का कुछ हिस्सा ले कर के लाभकारी साधनों का उपयोग और कुनव-निर्माण करें । यदि यह भावना किसी भी माननीय सदस्य की होगी चाहे वह इधर के बैठ ने वाले हों या माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर बैठने वाले हों तो वह समझेंगे कि माननी गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है वह गांवों की आधारशिला है । गांव को सही माने में नये समाज और नये युग की ओर ले जाने वाला है, सही माने में गांवों को स्वावलम्बी बनाने वाले हैं, सही माने में लखनऊ और दिल्ली की ओर जो एक आशा भरी निगाह लगाये रहते हैं उसको खत्म करने वाला है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय राजस्व मंत्री जी यह एलान करते हैं और वह एलान करें या न करें उनकी सरकार की ओर से माननीय स्वशासन मंत्री जी तो एलान करते हैं कि गांव पंचायतों को पूरा अधिकार होना चाहिये और अपने गांवों की तरक्की के साधन सुलभ करने के लिये, तो मैं नहीं समझा कि राजस्व मंत्री जी और स्वशासन मंत्री जी उस काम में अलग हो सकते हैं। मैं नहीं समझा कि यह कौन सी दलील दी जा रही है कि यह सार्वजनिक स्थान नहीं हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी पिछली बार इस सदन ने यह विधेयक स्वीकृत किया है कि यदि कोई ग़लत इन्दराज हों, कोई आबादी परती जमीन में हो गई तो उसका इन्दराज ठीक होना चाहिये । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि परती जमीनों में यदि बाजार लग हैं या मेले लगते हैं और जमींदारों ने अपने नाम से दर्ज करा लिया हो तो माननीय राजस्व मंत्री जी बतायें कि वह सार्वजनिक स्थान हुये या नहीं और उन बाजारों से जो आमदनी होती है वह सार्वजनिक लाभ के लिये हुई या नहीं। मैं एक और सवाल उनसे करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कितने किसान ऐसे भूमिधर हुये हैं जिनकी जमीन पर मेले और बाजार लगते हों। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि शायद ही कोई किसान ऐसा हो जिसकी जमीन में बाजार और मेले लगते हों । मैं जिस जिले का रहने वाला हूं उस जगह की बाजारें नजर आने लगीं जब राजस्व मंत्री जी की ओर से इस संशोधन का विरोध करने के लिये भावना प्रकट की गई। माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि लाखों रुपये की आमदनी बाजारों और मेलों से होती है तो बहुत से सम्मानित सदस्यों को स्तम्भित होना पड़ा होगा लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूं कि मासिक नहीं लाखों रुपये रोजाना की आमदनी बाजारों और मेलों से हुआ करती है। मेरे गांव के पास-बुबारी में हफ्ते में चार रोज़ बाजार लगती है और उस बाजार से प्रतिदिन १०,१२ रुपये हर बाजार की आमदनी होती है । अब चार बाजारें हफ्ते में लगती हैं। तो इस प्रकार ४८ रुपये हफ्ते इस बाजार में से आमदनी होती है और जब मैं हिसाब लगाता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि १५० रुपये मासिक की आमदनी होती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिस बाजार की आमदनी १५० या २०० रुपये हो रही है अगर वह आमदनी उस गांव की गाँव सभा को दे दी जाय तो मैं नहीं समझता कि फिर एक या दो प्राइमरी स्कूल उस आमदनी से क्यों नहीं चल सकेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि इस तरह की परिस्थित है कि सारे देश में अध्यापकों की हड़ताल हुआ करती है और सरकार को मजबूर होकर हड़ताल तुड़वाने के लिये तरह तरह के दांव गलत तरीके से इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उस वक्त में माननीय

मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इस तरह के बाजार और हाटें यदि गांव सभाओं को सुपुर्द कर दें तो सरकार और जिला बोर्ड के अधिकारियों की यह परेशानी तो खत्म हो जायेगी कि वहां के प्राइमरी स्कूल किस प्रकार चलाये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से और करना चाहता हूं कि यदि भूतपूर्व जमींदार या किसान जिसकी जमीन में बाजार और हाट मेले में आने वाले दूकानदार ज़मीन मालिक के मनोनुकूल काम नहीं करता है तो हो सकता है कि उस दूकानदार या बाजार या मेले को हटना पड़े। उस वक्त उपाध्यायक्ष, महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह बाजार और मेले कहां जायं। अपने जिले की मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं। एक गोठा बाजार है, बड़ा विशाल बाजार है। वहां के जमीन के मालिकों ने आपस में झगड़ा किया और उसका परिणाम यह हो गया कि दो बाजार उसी गांव में बट गये और आज उस गांव में १०७ के मुकदमें चल रहे हैं। पचासों आदमी रोजाना अदालत में आया जाया करते हैं। यह संकट उत्पन्न हो गया है और यह संकट सारे प्रदेश में उत्पन्न होगा। उस वक्त यह कानून आपकी मदद नहीं करेगा, उस वक्त यह संशोधन जो माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है वही लाभकारी सिद्ध होगा। यह कोई नयी बात नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी को ताज्जुब हुआ कि हमारे राजस्व मंत्री ने सदन से बाहर यह ऐलान किया था कि भूमिधरी प्राप्त हो जाने पर यह सार्वजनिक स्थान गांव सभा के हो जायंगे यह कोई नयी बात नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी को ताज्जुब हुआ होगा। लेकिन हम को तो ताज्जुब नहीं होता। हमारे सामने तो यह नसीहत मिलती ही रहती है। रोजाना यही देखते हैं। यहां सदन में कुछ दूसरी बात और बाहर जाने पर कुछ दूसरी बात। करनी और कथनी में इस सरकार की और माननीय राजस्व मंत्री की सदा अन्तर हुआ करता है और मैं उम्मीद करता हूं कि....

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—कर में सुमिरनी और बगल में कतरनी, यह कहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह आप स्वयं कह रहे हैं। हमारे कहने की बात क्या है? मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुये सभी माननीय सदस्य जो गांवों के रहने वाले हैं और सही मानी में गांव की भित्ति को मजबूत करना चाहते हैं जो सारे देश की इकाई है और बिना उसके मजबूत किये हम सोचें कि हम लखनऊ और दिल्ली के शासन को अच्छी तरह से चला सकते हैं तो अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव में जब हम जाते हैं तो गांव के रहने वालों से हम कहते हैं कि स्वावलम्बी हो कर गांव के निर्माण के काम करो। लेकिन जब गांव सभा और पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य सरकार और जिलाधीशों से जब आर्थिक सहायता मांगते हैं। और हम लोगों से कहते हैं, तो उसके लिये हमें कोई उपाय नहीं सूझता है। क्या बात है कि गांव की रहने वाली जनता जब खुद परिश्रम करना चाहती है और परिश्रम करके गांव का नव निर्माण करना चाहती है और गांव को एक आदर्श बनाना चाहती है तो उनको आदर्श बनाने में मदद करने के लिये यदि हम अर्थ उत्पादन के लिये बाजार हाट और मेले इन सार्वजनिक स्थानों की आमदनी उन को दे दें और सार्वजनिक निर्माण के लिये देदें तो इस पर राजस्व मंत्री को एतराज होता है?

राजस्व मंत्री जी ने एक दलील यह पेश की थी कि हम कैसे मान लें कि यह सार्वजनिक स्थान है और एक दलील यह पेश की थी कि यदि सार्वजनिक स्थान पर देवताओं के मेले लगते हों तो उसको कैसे माना जाय। मैं तो बहुत ताज्जुब में पड़ा। मेरे गांव में एक मीरा बाबा का बाजार लगती है। बहुत पुराना स्थान है। उस बाजार की आमदनी उस स्थान को दे दी जाय और उस स्थान पर इस तरह से उस आमदनी से स्कूल आदि चलाया जाय तो वह सार्वजनिक लाभ के लिये हुआ या नहीं?

यदि सार्वजनिक स्थान पर बाजार और मेला लगता हो और उसकी आमदनी उस सार्वजनिक स्थान को देदी जाय तो उससे सार्वजनिक निर्माण होने वाला है, व्यक्तिगत नहीं।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं एक और दलील जो राजस्व मंत्री ने कही कि सार्वजनिक सम्पत्ति यह नहीं मान सकता। हमारी पार्टी तो शायद मुआविजे की विरोधी रही है लेकिन हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी सुरेश प्रकाश जी की इस दलील का उत्तर तो देंगे ही कि जब तक यह विधान बना हुआ है मुआविजा देने का तब तक ये सार्वजनिक स्थान नहीं माने जा सकते हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको यह उत्तर तो देना चाहिये कि अगर मुआविजा सरकार की नजरों में कुछ देने के लिये हो तो दे कर भी उसे एक सार्वजनिक स्थान मान लेना चाहिये और ऐसे हाट बाजार और मेलों को इस प्रकार सार्वजनिक स्थान मान लेना चाहिये। इससे आपका भी लाभ होने वाला है, उसके मानी होते हैं कि इस देश और प्रदेश में बसने वाले लाखों की तादाद में निरक्षर लोग हैं, जो जनता है उसका नवनिर्माण होगा और वह इस माने में होगा कि गांव की व्यवस्था चलाने, गांव में सफाई करने, रोशनी करने का सवाल हल होगा और गांव की दरिद्रता दूर होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री, माननीय गेंदा सिंह जी के इस संशोधन को मान लेंगे और गांव का नवनिर्माण करने में सहायक होंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पहले जो मेरे दोस्त तकरीर दे रहे थे, मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर उनका मतलब क्या था वह क्या सार्वजनिक हित यह भी समझते हैं कि किसी जमींदार के बच्चे छीन लिये जायं, किसी जमींदार का घर सार्वजनिक हित के लिये हो। हमारे माननीय नेता जी कहते हैं कि उनकी स्त्रियां भी ले ली जायं। कहा यह जाता है कि राजस्व मंत्री हमारे साथ हैं। अगर सचमुच वह हमारे साथ होते तो यह मुमकिन भी नहीं था कि इतनी लाल टोपियां इस सदन में दिखाई देतीं। आज लाल टोपी यह डिमांड करती है कि जो कुछ भी जमींदारों के लिये बचा खुचा हो वह सार्वजनिक हित के लिये, जनरल इंटेरेस्ट के लिये अता फरमा दिया जाय। आज मैं समझता हूं कि इस दल के लोग विशेष कर हमारे कांस्टी-ट्यूशन से जो प्रिजुडिस पहले रखते थे वह आज भी मौजूद हैं और जहां तक संविधान का ताल्लुक है उनसे इससे वास्ता नहीं कि फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार क्या है। वह तो यही चाहते हैं कि जो कुछ वह चाहें वही होना चाहिये और कहेंगे कि यह तानाशाही सरकार तो उधर बैठी हुई है। यह भी आपका सौभाग्य है कि अभी आपके आने के लिये कम से कम चार साल बाकी हैं, जोकि उम्मीद नहीं होती है, और अगर होती तो पहले ही आपको अर्पण कर देते कि यह न्योछावर है जो रहने वहने का घर और जो कुछ बचा खुचा है।

श्रीमन्, ला आफ ईक्विटी की बात हमारे नेता महोदय कहते हैं यह मेरी बदतमीजी होगी अगर मैं यह कहूं कि वह समझते नहीं हैं कि आखिर ला आफ ईक्विटी है क्या चीज। न वह ही समझते हैं और न हम ही समझते हैं, लेकिन वह भाषण दे डालते हैं।

एक तमाशा और मजाक आजकल यह हो गया है कि यह जनहित है और हुजूरवाला यह जनहित में तो यह हुआ कि जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। जनहित के मातहत यह ली गई थीं। उधर यह कहते हैं कि घर लेलो-हाट लेलो, धन लेलो और बची-खुची सीर और खुदकाश्त भी छीन लो। तो जमीदार के पास बचेगा क्या? इसके इंटरप्रिटेशन में मेरा तो ख्याल है कि चाहे जो कुछ भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करे उसके फैसले के कब्ल से जमींदारों के फंडामेंटल राइट्स ही गायब हो जायेंगे। श्रीमन्, रहा यह कि मैं यह समझता हूं कि हमारे लायक दोस्त जो फरमा रहे हैं उनका मैं कुछ उत्तर दूं लेकिन मजबूरी यह है कि किसी एक बाबा का नाम लिया, बाबा के स्थान का जिसको मैं जानता भी नहीं और अपने जिले के बारे में फरमाते हैं कि साहब दो सौ रूपये आते हैं। मैं यह कहने का साहस तो नहीं कर सकता कि आप सर्वव्यापक हैं या सब जगह आपका मकान है लिहाजा एक

जिले में दो सौ रुपया आ जाता है। तो आपके सीने पर सांप लोटता है। तो यह हो सकता है और मुमकिन है कि जमींदार साहब से आपके पुराने ताल्लुकात अच्छे न रहे हों। लिहाजा विशेषकर यह शिकायत है। लेकिन आज अगर किसी जमींदार के पास आप यह फरमाते हैं कि दो सौ रूपया माहवार आता है तो यह बहुत अधिक है। मैं तो यह समझता हूं मालूम नहीं कहां तक सच है या झूठ लेकिन मुझे सुनाई दिया था कि बिहार में एलेक्शन कैम्पेन जब हो रहा था तो एक हजार रूपया और एक काली गाय हर एक वोटर को देने की प्रतिज्ञा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से हमारे सोशलिस्ट भाई करते थे। तो क्या हम यह मान लें कि हिन्दुस्तान में रहते हुये भी जमींदार पाकिस्तानी हो गया है या दूसरे मुल्क का हो गया है। एक हजार रुपये और एक काली गाय इनको दिलवाने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो दो सौ रुपया मिलने में क्यों परेशानी होती है। अगर भारतवर्ष में प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी अब नहीं बाकी रहती है तो यह आप समझ लीजिये मैं यह कहने का दावा करता हूं कि कांस्टीट्युशन हमारे भारत वर्ष से हमेशा के लिये नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाय यह अच्छा है। संविधान के नाम पर वह कलंक न लगे। दुनियां यह न समझे कि भारत वर्ष संविधान भी बनाता है और साथ ही साथ समझने का उसमें साहस नहीं है और उसमें बुद्धि नहीं है। जो आज बनावें और कल उसको बदलते रहें अगर आप लोगों को यह मजाक मंजूर है कि संविधान सिर्फ एक कागज है जिससे हर एक आदमी और हर एक दल खेल सकता है तो बहुत अच्छा है, आप करते रहिये और यह एक ऐसा प्रीसिडेंट है जो कि आइंदा चलकर हमारे सोशलिस्ट भाई भी वह शोर मचावेंगे जब कि कम्युनिस्ट उस तरफ से दिखाई देंगे कि यह छीना जा रहा है। तो श्रीमन् मैं यह नहीं समझता कि यह लोग कहां से बातें करते हैं। अगर सिद्धांतवाद की बात करें अगर समझने की कोशिश करें तब भी ठीक है। आप एक हवाई जहाज पर उड़ते हैं बगैर समझे हुये यह कहां तक आपके लिये शोभा देता है यह मेरी समझ में नहीं आया। कोई भी आदमी हो उसको कहने के पहले समझने की कोशिश करनी चाहिये कि वह क्या कह रहा है। अगर आप यही चाहते हैं तो कम्यूनिस्टों को क्यों नहीं बुला लेते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं। जमींदार भी आपके साथी हो जायेंगे क्योंकि बात तो यह है कि कुछ दिन के बाद उनके पास भी तो कुछ रहता नहीं। बहुत मुमकिन है कि वह आपही के साथ जायेंगे। जमींदार कांग्रेस के साथ नहीं जायेंगे क्योंकि वह समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर जो छुरी चली है गले पर वह जमींदार के बच्चे के दिल से निकली नहीं होगी। इतना आसान नहीं है। माननीय मंत्री जी भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहां इन लोगों के लिये जो जी में आये कह दें जबान पर कोई लगाम तो है नहीं, चाहे जो कहें और न कोई लगाम लग सकती है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ यह भी उनका मौलिक अधिकार है कि जो चाहें कर डालें और जो चाहें कह डालें। इसलिये मैं सोशलिस्ट पार्टी के हरएक माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसको सोचें, सिद्धांतवाद का प्रश्न यहां नहीं उठता। जहां सिद्धान्तवाद का प्रश्न उठ जाता है, तो हर माननीय सदस्य को बेचैनी हो जाती है।

मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे यह समझें कि यह मामूली बात है अगर जमींदार कुछ पा जाता है। पहले ५० जिले इस प्रांत में थे अब दो चार और बढ़ गये हैं परन्तु कहीं भी किसी जमींदार को बलरामपुर या दूसरी बड़ी बड़ी ताल्लुकेदारियों को भी, इससे हजारों लाखों की आमदनी नहीं है। यह महज एक सहारा है। आज जब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है आज हर जमींदार यह समझता है कि दस रुपया क्या है यद्यपि किसी समय उसकी दस हजार पर भी निगाह नहीं जाती थी। श्रीमान् जी, यदि भूतपूर्व जमींदार को इस देश में रहने और बसने का अधिकार है तो उसके खाने और रहने का प्रबंध होना ही चाहिये। जब हम देख लेंगे कि हमारे समाजवादी भाइयों की पालिसी फार्मूलेट हो रही है तो आपके आने के पहले ही जो कुछ हमारे पास बचा खुचा होगा उसे आप के शुभागमन में न्योछावर कर देंगे।

एक सदस्य—यह क्या आपही के उद्गार हैं ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह—यह उद्गार हमारे नहीं हैं बल्कि आप ही लोगों के हैं। हमारे जो उद्गार थे वे तो लुप्त हो गये। मैं यदि जमींदार शब्द कहता हूं तो जमींदार कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है जिस के नाम पर आपको घृणा हो। अन्त में मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह उम्मीद करता हूं कि वे समझदार आदमी हैं और यदि वे कम से कम ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने की तकलीफ न फरमाते तो अच्छा था, वरना उनकी मर्जी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह जी के इस संशोधन का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इसमें जमींदार और काश्तकार का प्रश्न नहीं है और न भूतपूर्व जमींदारों के लिये छोटी सी आमदनी पर जीवन निर्वाह के लिये तरस दिखाने का प्रश्न है। यह जमींदारी विनाश कानून से बहुत ही निकट संबंध रखता है। जमींदारी विनाश कानून और केवल जमींदारी विनाश कानून प्रथम बार इस समाज की सृष्टि करने का प्रयत्न कर रहा है। जिसमें जनता में सार्वजनिक मानवता का निर्माण हो सकेगा। मेले और हाट किसी विशेष व्यक्ति की भूमि पर लगें, यह ऐसा लगता है ऐसा खटकता है कि गांव में कहा जाय कि फलाने का मेला है, फलाने का बाजार है, यह बात इस विधेयक में पूरी जमींदारी विनाश कानून की स्प्रिट, आत्मा, मनोभावना और मनोदशा के बिलकुल विपरीत है। बड़ा दुख है कि हमारे राजस्व मंत्री जी को इस प्रश्न को उसमें समावेश करने के लिये कानूनी गुंजायश नहीं मिल सकी। इसमें संदेह नहीं कि इसमें कुछ कानूनी अड़चनें हैं लेकिन मैं बड़ी ही नम्रता से निवेदन करूंगा कि जब पूरे कानून में, पूरे जमींदारी के उन्मूलन में कोई कानूनी अड़चन उत्पन्न नहीं हुई, तो इस छोटी सी बात को दूर करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये जब कि मन में यह भावना हो कि प्रत्येक बाग जो जनता से आमदनी के रूप में या किसी रूप में उत्पन्न होता हो, वह जनता की सम्पत्ति है और वह जनता के प्रतिबन्ध और जनता के उपभोग की बात है। पहले यह मानव-दशा की बात ही निर्मूल हो जानी चाहिये कि कोई बाग किसी विशेष व्यक्ति से संबंध रखता है, किसी विशेष व्यक्ति की सम्पत्ति है। यह केवल एक आमदनी का प्रश्न नहीं है जिस पर भूतपूर्व जमींदारों को जीवन निर्वाह के लिये तरस दिखाने की जरूरत है। मैंने दो भाषण जो माननीय जमींदार सदस्यों के सुने हैं, बड़ी दया सी आती है कि वे अब इस सीमा तक उतर आये कि केवल मेले और हाट की आमदनी पर जीवन निर्वाह की भीख मांगें। यह प्रश्न तो पूरे समाज की मानवता और मनोदशा से संबंध रखता है।

मैं समझता हूं कि पूरे जमींदारी कानून में जब एक व्यक्ति मालिक है या एक व्यक्ति का हाट है, यह बात आती है तो ऐसा लगता है कि जमींदारी कानून में इस बात को रख देने से जमींदारी कानून को कुछ अंश तक दूषित कर देना पड़ा है। इसमें संदेह नहीं कि कानूनी दिक्कतें हैं, भूमिधर को भूमिधरी कानून के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार है और विधान के अनुसार भी उसे यदि मेले से हटाया जाय तो संभवतः मुआविजा देने का प्रश्न उपस्थित हो सकता है लेकिन जब गांव सभाओं का प्रश्न है तो यह तो बनाया जा सकता था कि भूमि का उपयोग उन सार्वजनिक चीजों के अतिरिक्त होगा यानी खेती वगैरह तो वह कर सकता है लेकिन अगर किसी को मेला लगाना हो, हाट लगाना हो या कोई और सार्वजनिक बात करनी हो तो उस वक्त भूमिधर को अपनी भूमि के उपयोग का अधिकार नहीं देना चाहिये। मैं राजस्व मंत्री से बड़ी ही नम्रता से निवेदन करूंगा कि कोई न कोई गुंजाइश की बात अवश्य होनी चाहिये। यह बात हो सकती है कि किसी पंचायत के खेत में यदि कोई सार्वजनिक मेला लगता हो तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को उस क्षेत्र के अन्तर्गत कोई दूसरा मेला लगाने का अधिकार न दिया जाय। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी भूमि पर मेला लगाता हो तो उस पर ऐसा टैक्स लगा दिया जाय कि फिर उसको साहस न हो कि अपनी भूमि पर मेला लगाये। या कोई ऐसा लाइसेंस लेने की प्रथा निकाली जा सकती है जिससे कि जब कोई पंचायत के खेत में मेला लगे तो फिर

दूसरा मेला न लग सके। और इस बात के लिये यह भी गुंजाइश है कि यदि जनता प्रबंध नहीं करती है तो उस क्षेत्र में एक वह मनोवृत्ति जो जमींदारी विनाश कानून पैदा करना चाहता है और जैसा मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया कि यह कानून जनता में उस मनोवृत्ति का निर्माण कर रहा है जिसमें सार्वजनिक मनोदशा उत्पन्न होती है, जिसमें निजी सम्पत्ति का अंत होता है, तो उस मनोवृत्ति में यह बात बाधक हो रही है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे जैसे हो सके इसको करना चाहिये। इसमें यह भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ४० और ५० रुपये रोज आमदनी होती है। अभी निजी आमदनी तो बहुत ज्यादा हुआ करती है, मिलों में तो लाखों की आमदनी रोज हुआ करती है। इसलिये ४०,५० रुपये की आमदनी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो इस बात का है कि जो मनोवृत्ति जमींदारी उन्मूलन कानून के द्वारा पैदा की जा रही है उस मनोवृत्ति के पैदा करने में अन्तर पड़ जाता है। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि चाहे जिस प्रकार भी हो इस बाधा को दूर करें। और जब एक नीति निर्धारित हो जाती है तो कानून उसके पीछे चलना ही चाहिये। कानून नीति को गाइड नहीं करेगा बल्कि नीति कानून को गाइड करेगी। मैं देखता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों के मनों में यह बात ऐसी खटकी है जैसे उनकी बड़ी भारी सम्पत्ति चली गई हो। यदि जमींदारी चली गयी, पूरा राज्य चला गया तो इस मेले की आमदनी का उनको इतना मोह क्यों होता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इस छोटी सी आमदनी पर कितने दिन काम चलेगा। यह तो जब हम और आप बैठते हैं और उस मनोवृत्ति के निर्माण करने का प्रश्न उठता है तो उसमें कौन बात बाधक है इसको देखने की जरूरत है। मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि पूरे जमींदारी विनाश कानून की आत्मा में इतना अंश बाधक है और उस मनोवृत्ति को पैदा करने में एक अड़चन पैदा करता है जिसको माननीय राजस्व मंत्री उस कानून के जरिये से पैदा करना चाहते हैं। इसलिये मेरा नम्रता पूर्वक निवेदन है कि चाहे इस संशोधन द्वारा या सरकार स्वयं कोई संशोधन ला कर निजी भूमि में मेले और हाट, बाजार लगाने की प्रथा को खत्म करे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—सर, आई वांट टु मूव क्लोज़र।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर एक आध भाषण और हो जायं तो अच्छा है वैसे आपको अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसी आशा करता था कि इस संशोधन पर अधिक विवाद नहीं होगा और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जैसी कि पहले उन्होंने सोचने का वायदा किया था तो हम समझते थे कि वह कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे सदन का समय बच सके और हम लोगों को भी इस पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता न हो। लेकिन मुझे दुख है कि वह अभी तक मौन हैं और अभी तक उन्होंने कोई अपना निर्णय नहीं दिया है। संभव है अगर उन्होंने अपना निर्णय दे दिया होता तो शायद कुछ समय बच जाता।

इस संशोधन के विवाद के सिलसिले में कुछ सिद्धांतों की भी चर्चा हुई और निजी सम्पत्ति की और माननीय राजस्व मंत्री जी का और उनके दल का जमींदारों से क्या संबंध रहा, इन सब चीजों पर और बहुत सी बातों पर भी काफी चर्चा हुई। मैं तो उम्मीद करता था कि केवल श्री पद्मनाथ सिंह ही नहीं उस ओर के और भी माननीय सदस्य हमारा साथ देंगे। लेकिन मुझे

[श्री गेंदा सिंह]

कुछ ऐसा लगा कि जो अभी हमारे बोलने के पहले क्लोजर मूव हुआ तो इससे सरकारी पक्ष को कुछ खतरा नजर आया, माननीय पद्मनाथ सिंह जी के भाषण के बाद । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपने कुछ अवसर दिया होता और लोग भी इसकी बहस में भाग ले सकते तो मेरी निश्चित धारणा है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य हमारा साथ देते ।

मैंने माननीय सुरेश प्रकाश जी की बातों को बहुत ही गौर से सुना और उन्होंने प्राइवेट प्रापर्टी तथा ला आफ इक्वीटी वगैरह बहुत सी चीजों की चर्चा की । प्राइवेट प्रापर्टी की परिभाषा आज जो समाजवादी देशों में है वहां की बात भी की गयी है और वहां भी किसी न किसी तरह से प्राइवेट प्रापर्टी मौजूद हैं । निजी सम्पत्ति को जड़ से समाप्त कर दिया गया या आगे चलकर कर दिया जायगा तो ऐसी संभावना न तो हम समझते हैं और न किसी ने इसके लिये दलील दी । निजी सम्पत्ति हमारा कोट है, चारपाई है और कुर्सी है या ऐसी चीजें जिनका हम स्वयं उपभोग करते हैं । उन चीजों को निजी सम्पत्ति मानने में किसी समाजवादी को आपत्ति नहीं होगी और इस प्रकार निजी सम्पत्ति और देशों में भी हैं । लेकिन निजी सम्पत्ति की आड़ में और उसको आध्यात्मिक और पवित्रता के नाम से अगर दूसरे मनुष्य की निजी सम्पत्ति का अपहरण किया जाय तो इसको तो कोई समाज बरदाश्त नहीं कर सकता है । निजी सम्पत्ति की जो चर्चा हो रही है, वह चर्चा है कि जो सूबे भर में बाजार, हाट, मेला हैं वह निजी संपत्ति रहे या नहीं, उसको निजी सम्पत्ति समझने में यहां उन्होंने दलील दी और माननीय श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने बाजार, हाट और मेला इन तीनों के लिये इसको इस्तेमाल किया । मैं आज भी सोचता हूं कि जमींदारी विनाश होने के बाद शायद ही कोई जमींदार या मध्यवर्ती यह सोचता हो कि उसकी यह सम्पत्ति हो जायगी । सम्भव है कि आज के बाद लोग ऐसा समझना शुरू करें । बहुत नजदीक के जो लोग थे और जिन्होंने इस क़ानून को समझने की खास तौर से कोशिश की थी तो सिर्फ उन्हीं लोगों ने जरूर लाभ उठाया । उन्होंने उसको अपनी निजी सम्पत्ति बनाने की चेष्टा की है लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि यह हमारी निजी सम्पत्ति हो जायगी । अगर यह समझा गया होता तो मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तूफान बरपा हो जायगा सारे प्रदेश में मेले और हाट जो हैं उनको अपनी निजी सम्पत्ति बनाने की कोशिश होगी । यह चीज शासन और व्यवस्था के लिये भी बड़ी विषम परिस्थिति हो जायगी । तो इसलिये उसको निजी सम्पत्ति कहना उचित नहीं है । उन्होंने जो माननीय राजस्व मंत्री और अपने दल के संबंध का जिक्र किया है उस संबंध में कोई झगड़ा नहीं है । उनका अगर इतना गहरा संबंध न होता तो हमारा संबंध क्यों टूटता । जब गहरा संबंध है माननीय राजस्व मंत्री से, माननीय सुरेश प्रकाश से या उनके जैसे लोगों से या उनके दल के लोगों से तो उसके बाद हमें उस घर को खाली कर के दूसरी जगह जाना पड़ा । अब जैसा कि माननीय अवधेशप्रताप जी अपना संबंध बतलाते हैं उसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । संबंध है माननीय राजस्व मंत्री जी का माननीय अवधेशप्रताप जी के दल से लेकिन वह एक धुंधला सा है, कभी टूटता है और कभी गहरा हो जाता है, बराबर एक सा संबंध नहीं रहता । इसलिये आज यह लाल टोपी यहां दिखलाई देती है, नहीं तो इस लाल टोपी की जरूरत न पड़ती और न हमें यहां बैठने की जरूरत पड़ती । शायद हम एक साथ होते । लेकिन अब उसे सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, वह एक इतिहासिक आवश्यकता थी और उसी के अनुसार हम लोगों को अलग होना पड़ा । माननीय अवधेशप्रताप जी ने कहा कि शायद हम लोग उनके बच्चों को भी छीन लेंगे । वह अपने बच्चों को भी अपनी निजी सम्पत्ति समझते हैं, इस पर मैं उन्हीं को विचार करने को कहता हूं । दुनिया में आज कोई भी समझदार आदमी अपने बच्चों को अपनी निजी सम्पत्ति नहीं मानता । बच्चे मानते हैं, लड़के मानते हैं लेकिन उनको सम्पत्ति की उपाधि कोई नहीं देता । इसे वह स्वयं सोचें । एक बात उनको मैं बतला देना चाहता हूं कि वह अपने बच्चों को चाहे कुछ भी समझते रहें लेकिन अगर अपने बच्चों को वह अपने महलों में बंद करके नहीं रक्खेंगे तो यह बच्चे माननीय

अवधेश प्रताप जी का साथ भले ही दे दें लेकिन उनके विचारों का साथ नहीं दे सकते। क्यों कि जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से बाप को वह नहीं छोड़ सकते लेकिन उनके विचारों का साथ वह नहीं दे सकते और वह छिन जायेंगे हमारे जरिये। वह हमारे साथ आ रहे हैं और हमारे साथ ही आयेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—सही औलाद ऐसा नहीं करेगी।

श्री गेंदा सिंह—मैं जानता हूं कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह को यह भी विश्वास नहीं है कि उनके घर के जो बच्चे हैं वे सही औलाद हैं लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे सही औलाद हैं। सही औलाद होते हुये वह साथ करेंगे बुद्धि का और बुद्धि का साथ करते हुये वे हमारे साथ आयेंगे। मुझे खुशी हुई इस बात की कि हम नई पीढ़ी को दावत देते हैं और उससे आशा करते हैं कि वह नई पीढ़ी आकर हमारा कार्य भार संभालेगी। कोई समाजवाद का ठेका हमारे नाम नहीं लिखा गया है। वह तो जनता का वाद है और उसकी ही बदौलत वह आने वाला है। तो इसलिये मैं उस चीज पर कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। (एक ध्वनि, समाजवाद या प्रजावाद)। इन दोनों में चाहे नाम का फर्क हो लेकिन वैसे कोई फर्क नहीं है। यह दोनों एक ही बात है। तो मैं एक बात व्यावहारिक कठिनाई की आप के सामने रखना चाहता हूं जिस पर विचार करने के लिये आप से निवेदन करूंगा। अभी हम जानते हैं कि बहुत से खतरे की बात हमारे सामने आयेगी। इस बिल के अन्दर भी किसानों से कुछ पैसा लेने की गुंजायश रखी गयी है जो कि आगे आयेगी। उस पर हमको विचार करना होगा। इतना ही नहीं यह भी है, हमने सुना था कि बैटरमेंट लेवी या डेवलपमेंट लेवी के रूप में या किसी न किसी और तरीक़े से किसानों से पैसा लेने का विचार सरकार रखती है। बड़ी खुशी होगी अगर वह इससे इन्कार कर दें। लेकिन अगर इस तरह का विचार है कि किसानों से कुछ पैसा लेना है तो फिर किसानों से पैसा लेकर और सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति को न लेकर जैसे कि यह बाजार हाट और मेले की आमदनी है उसको लेकर सार्वजनिक हित में नहीं लगाती है तो यह सरकार बदनाम होगी। किसी तरह का भी टैक्सेशन करने से यह सरकार बदनाम होगी और सरकार को उस नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि सरकार इस खतरे को समझती है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि वह चीज हमारे लिये बड़ी फायदे की चीज होगी। हम लोगों ने उस फायदे को न तो कभी प्राप्त करने की कोशिश की और न करेंगे। अगर इस तरह की बात आवे, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बात आवे तो जैसा रामसुन्दर जी ने कहा कि यह जो हाट बाजार और मेले की आमदनी है उसको बहुत उपयोग में लगाया जा सकता है। अभी सरकार ने गांव पंचायत के सेक्रेटरियों की तनख्वाह दी है क्योंकि उसको गांव पंचायत नहीं दे सकी। उसके लिये सरकार ने अपने खजाने से ५० लाख रुपया दिया। इस ५० लाख रुपये से सरकार बहुत उपयोगी काम कर सकती थी जिससे सूबे के बहुत से लोगों को रोजी मिलती और सरकार यश कमाती। लेकिन अगर पंचायत के सेक्रेटरियों के लिये यह रुपया दिया तो ठीक, क्योंकि गांव सभाओं की दशा अच्छी नहीं है। वे आर्थिक कठिनाई से गुजर रही हैं। वे अपनी आर्थिक कठिनाई की वजह से कोई भी उपयोगी काम नहीं कर सकती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बाजार और मेलों को उनके साथ रहने दिया जाय और उनकी आमदनी से वह कुछ उपयोगी काम कर सकती हैं। मैं आप से आमदनी की बात कहूं कि हर जगह २,३ दिन पीछे एक बाजार लगता है। मैं उन जगहों को छोड़ देता हूं जो पहाड़ी इलाके हैं लेकिन जहां पर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू है वहां पर अगर इन बाजारों को इन पंचायतों को दे दिया जाय या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाय क्योंकि बोर्ड्स की हालत भी अच्छी नहीं है उनको भी पैसे की बहुत जरूरत है और वह आर्थिक संकट से गुजर रही हैं तो उनकी बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाई हल हो जाय। जैसा कि रामसुन्दर पाण्डेय जी ने कहा कि ४८ या ५० रुपये प्रति सप्ताह की एक बाजार की आमदनी है अगर ५००,६०० भी हम मान लें तो फिर इन बाजारों

[श्री गेंदा सिंह]

की आमदनी बहुत बड़ी आमदनी होगी। आप का जो यह बैटरमेंट लेवी और डेवलपमेंट लेवी का मसला है अगर अन्दाजा किया जाय तो इसकी आमदनी शायद उसके करीब ही आयेगी। इसमें किसी के ऊपर टैक्स लगाने की बात नहीं आती है। जनता स्वयं टैक्स देती है उसको वसूल करने के लिये किसी दूसरी एजेन्सी के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप उसकी वसूली भी हो जाती है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज तो यह हवा नहीं थी और इस वर्ष वह देखेंगे कि इन बाजारों से, इन मेलों से, इन हाटों से कितनी आमदनी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को और गांव सभाओं को हुई है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोज अपने आर्थिक मसलों से टकरा कर बैठ जाते हैं। इस समय सरकार के सामने यह सवाल आया है और वह उनकी आर्थिक दिक्कत दूर करने के लिये तैयार नहीं है। अध्यापकों की मांग और तमाम मसले...

श्री चरण सिंह—मैं आप की आज्ञा से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह फ़र्ज कर के कि मेलों से कितनी आमदनी होगी और उस आमदनी से कौन कौन से मसले तय हो सकेंगे उन पर अलग व्याख्यान दे कर सदन का समय लेना कहां तक मुनासिब है कि अध्यापकों का प्रश्न है और पटवारियों की हड़तालें होती हैं और डेवलपमेंट लेवी से जो असर पड़ता है। वह अगर अपने को संशोधन तक ही सीमित रखें और जो क़ानूनी दिक्कत उनको बतलाई गयी उसी पर बोलें तो मुनासिब होगा।

श्री गेंदा सिंह—मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं और सारे सदन से मैं अपील करना चाहता था कि पैसे की कमी ही से सरकार को इन तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर वह सुनना नहीं चाहते तो मैं उस विषय में नहीं कहूंगा। अब मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो जमींदारी विनाश क़ानून है उसमें जैसा कि माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने कहा कि एक बहुत बड़ी कमी रह गयी है और उसका दूर करना बहुत जरूरी है, अगर वह दूर करना नहीं चाहते तो यह उनकी मर्जी है। अगर वह और भी खामियां इसमें ला दें तो यह हमारे बस की बात नहीं है। पर मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगले ४, ६ महीने में या वर्ष भर के भीतर ही उनको इसी तरह का कोई और क़ानून लाने की आवश्यकता पड़ेगी और वह महसूस करेंगे कि उसका लाना लाजमी हो जायगा। हमारा काम तो केवल इतना था कि हम काम के बिगड़ने के पहले ही उनके ध्यान में इस चीज को ला दें, बाक़ी अब उनकी मर्जी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस वक्त गवर्नमेंट की ओर से किसी के हाथ में कोई सम्पत्ति देने की बात आती है तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारियां कहां-कहां हैं उनकी जिम्मेदारी केवल इस क़ानून को बना देने की ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सारे सूबे का शासन चलाने की है। अध्यापकों की बात कोवह यहां नहीं लाने देना चाहते, इतना मैंने उनके विषय में कहा अब आगे से उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं मैं उनका नाम भी न लूंगा। आज ही कोई अध्यापकों का एक पर्चा कमरे में फेंका गया था, उस पर्चे को पढ़ने के बाद उनकी याद आ गई थी। मैं हर बात में देखता हूं कि कहां-कहां से रुपया सरकार के जरूरी कामों के लिये आ सकता है और मैं उनको यह चेतावनी देना चाहता था कि आमदनी के जरिये को निजी सम्पत्ति बनाने के लोभ में इन मेलों, बाजारों को ऐसे लोगों के हाथ में न जाने दें जिनके हाथ में जाने से उसका कोई सद्-उपयोग न हो सके। जमींदारी विनाश क़ानून के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि उसके बनाने पर बहुत महल बनाना और डींग मारना कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने वह क़ानून बना दिया। मैं उन्हीं के दो चार शब्दों को सदन के सामने और कुछ अन्त में न कह कर विचार करने के लिये छोड़ता हूं। जमींदारी विनाश किस मंशा से किया गया वह मैं अपने संयुक्त दल के माननीय सदस्यों से, राजस्व मंत्री से और उधर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के कुछ अंश को उद्धृत करना चाहता हूं। जो इस प्रकार है "एक कमाने से भीतर ही भीतर सुलगने वाले असन्तोष ने, जिसका विस्फोट खुले विरोध और

कभी हिंसात्मक कार्यों के रूप में समय-समय पर हमारे प्रान्तों और भारत के दूसरे भागों में होता रहा है, नाजुक अवस्था प्राप्त कर ली है । देहातों में काश्तकारों के बीच आज हम जो भी सहनशीलता और आत्मसंयम देखते हैं उसका कारण उनकी यह आशा है कि जो लोग राज काज चला रहे हैं वे उनके प्रति किये गये अन्याय को दूर करेंगे । यदि कहीं इस आशा का अन्त हुआ तो काश्तकार धीरज खो बैठेगा । तब उसका असंतोष विद्रोह का रूप धारण कर सकता है और हिंसा फैलने से हमारी सामाजिक सुरक्षा ख़तरे में पड़ जा सकती है । जमींदारी उन्मूलन की हमारी योजना में वाजिब मुआवजा देने की बात है । यदि जमींदारी का उन्मूलन कुछ वर्षों के लिये और रोक दिया जाय तो उस हालत में उन्मूलन का अर्थ बिना मुआवजे के जमींदार की अधिकाच्युति (हक़मालिकाना से उसे वंचित किया जाना) हो सकता है और बहुत सम्भव है कि खून-ख़राबी तथा हिंसा भी हो । जैसा कि प्रोफ़ेसर हैरोल्ड लस्की ने कहा है । "इतिहास को दृष्टि में रखते हुये क्रान्ति के ख़तरे को दूर करने का एक ही उपाय हो सकता है । वह उपाय ऐसे सुधार करना है जिनसे उन लोगों में आशा और प्रसन्नता का संचार हो"

यह मैंने जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में से उद्धृत किया है । मैं इसके बाद अन्त में यही कहूंगा कि इससे लाखों का बल्कि मुमकिन है करोड़ों का नुक़सान गांव सभाओं, डिस्टिक्ट बोर्डों को और सरकार को हो सकता है । इस प्रश्न पर बहुत ही शान्तिपूर्वक विचार करके फैसला करना चाहिये । यों तो माननीय राजस्व मंत्री जी को अधिकार है जैसा वह चाहें फैसला दे सकते हैं।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें मैं पहले बयान कर चुका हूं वही मुझे फिर दोहरानी पड़ती हैं। जिस भावना से माननीय गेंदा सिंह जी ने यह संशोधन रखा है मैंने उसकी सराहना की है और उसके साथ सहानुभूति भी प्रकाशित कर चुका हूं । गेंदा सिंह जी ने अपने जवाब में मेरी बातों का कई उत्तर नहीं दिया बल्कि इस संशोधन को एक अवसर माना गया और बहुत सी बातें कही गयीं जिनका इससे बहुत थोड़ा संबंध था । मैं फिर संक्षेप में अपनी दलीलें दोहरायें देता हूं । हमने भूमिधर को अधिकार दिया कि वह ज़मीन का जो चाहे इस्तेमाल करें । जमींदारी उन्मूलन के पहले से जो उसने ज़मीन के इस्तेमाल करने का अधिकार था उसे हमें लाजिकली कायम रखना है । इसलिये हाट, बाज़ार और मेले उसमें से हमने छोड़ दिये । वैस्टिंग उनकी नहीं है सिर्फ उस ज़मीन पर जो कि उनकी सीर, खुदकाश्त या बाग़ात थे । अब यह कहा जाता है कि नहीं, इस एक्सैप्शन को नहीं रखें । तो मैंने कहा कि इसकी मैरिट्स को छोड़ते हुये इस संशोधन में एक नुक्स यह है कि जो पुराने भूमिधर चले आ रहे हैं उनके तो हमने ले लिये हाट, बाज़ार और मेले और जो नये भूमिधर बन गये वे हाट, बाज़ार और मेले लगा सकते हैं। लिहाज़ा इसके लिये कोई दूसरा संशोधन लाइये ।

दूसरा क़ानूनी नुक्स यह है कि मान लो किसी मन्दिर या मस्जिद या किसी रिलीजस या चैरिटेबिल संस्था की जमीन में मेला होता है । वह मेला भी हम ले लेते हैं क्यों कि आप के संशोधन में इसका कोई भेद नहीं रखा गया है । तो रिलीजस एंडाउमेंट और वक़्फ़स या ट्रस्ट्स वग़ैरह जितने भी इंटरमिडियेरीज़ थे उन सब की हमने जायदाद ली । तो इस संशोधन से उनके मेले को भी हम ले लेते हैं।

विरोधी दल का एक सदस्य---अमेंडमेंट पेश कर लीजिये ।

श्री चरण सिंह---फिर हमने दफ़ा ९ में रखा है इमारत वग़ैरह के बारे में कि मध्यवर्ती की रहेगी । अब इमारत की डैफ़ीनीशन क्या है ? वह यह है कि जैसा भी स्ट्रक्चर हो । अगर किसी ने अपनी ज़मीन पर चारों तरफ दीवार खींच ली है या छप्पर या टिन शेड डाल लिया है तो अब दफा ९ के मुताबिक़ उसे नहीं लिया जायगा । वह उसमें मेले लगाता है तो यह इमारत की तारीफ़ में आगया ।

[ श्री चरण सिंह ]

अब बिल्डिंग की तारीफ ऐसी नहीं मिलती जिसमें से चहार दीवारी निकाली जा सकती हो। न यहां ऐसा कोई कानूनी शब्दकोष है और न ब्रिटेन का ही। वह सब हमने यहां तलाश करा लिया। बहुत सी जगह बाजार और मेले लगते हैं अगर हम इसको मान भी लेते हैं तो जो बिल्डिंगों में लगते हैं वे फिर भी रह जायेंगे। यह तो उस वक्त जिनकी भूमि में हाट और बाजार लगते थे उनके अधिकार की बात रही लेकिन आज भूमिधर को यह अधिकार है जो उसको जमींदारी सरकार में वेस्ट होने के दिन से मिल गया है तो क्या उस अधिकार को हम डायवेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी में भी डिप्टी लीगल रिमेम्बरेंसर साहब को भी इसके लिये खासतौर से बुलाया गया और उनके सामने ये सब बातें रखी गयीं। माननीय गेंदा सिंह जी भी उसमें मौजूद थे। उसमें उन्होंने कानूनी और कांस्टीटयूशनल आब्जेक्शन बताये और इसीलिये उनकी वह मंशा पूरी नहीं हो सकती। अब मान लिया जाय कि ये लीगल और कांस्टीटयूशनल आपत्ति नहीं भी होती तो भी यह कैसे मुनासिब था कि यह भूमिधरों को कह दिया जाय कि वह अपनी भूमि पर किसी दूकानदार को न बैठायें, उसको वह जो सहूलियतें देते हैं वे सहूलियतें न दें। वह जो सहूलियतें उसको देता है उसके बदले में कुछ थोड़ी सी फीस ले लेता है। वह वहां पानी का इन्तजाम करता है, हां हुक्के का इन्तजाम नहीं करता, वह छिड़काव भी करायेगा, और अगर धूप तेज होगी तो वहां छाया का भी इन्तजाम करेगा। यह तो वहां बैठने वालों की मर्जी पर है कि वहां जाकर बैठें या न बैठें, कोई उनको मजबूर नहीं करता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गांव सभायें या दूसरे भूमिधर चाहे तो उनको अपनी ओर अट्रेक्ट कर सकते हैं। अब दूकानदार की मर्जी पर है कि वह कहां बैठे। अगर कोई आदमी किसी को अपनी संपत्ति पर इनवाइट करता है और लोगों को सहूलियत देने के बदले में कुछ फीस वसूल करता है तो इसमें शोषण कहां होता है, मेरी समझ में नहीं आता कहा गया कि मैं डींग मारता हूं, मैं डींग तो मारना नहीं चाहता लेकिन इसमें सार्वजनिक संपत्ति का सवाल कहां आता है जिससे उन मेले बाजारों पर उनका अधिकार न हो। फिर अगर आज कोई भूमिधर अपनी जमीन पर कोई सिनेमा बनवाता है और उस सिनेमा में लोग जाते हैं तो क्या वह सार्वजनिक हो जायगा? क्योंकि जनता उसमें जाती है, क्योंकि ५० हजार रुपया उससे आमदनी होती है। तो जब तक लोगों को अपनी जमींन पर सिनेमा खोलने की इजाजत है, अपनी जमींन को दूसरे कामों में लाने की और बेचने की इजाजत है तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि शोषण किस तरीके से होता है और विरोधी पार्टी की ओर से बातें कही गईं वे बड़े जोश के साथ कही गईं लेकिन इस बात का जरा भी उल्लेख नहीं किया गया, न गेंदा सिंह जी की तरफ से न राजनारायण जी की तरफ से और न राम सुन्दर जी पांडेय की तरफ से। मैंने स्वयं कहा कि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आमदनी जितनी ज्यादा हो जाय उतना अच्छा है। मैंने इसके लिये जबानी भी कहा और सिलेक्ट कमेटी में भी इस बात का सबूत दिया और उनके ऊपर छोड़ दिया कि वह यह बतायें कि यह चीज किस तरह से हो सकती है। भूमिधरों को अपनी जमींन पर सोलह आना अधिकार दिये गये हैं, ट्रांसफर के और उसको इस्तेमाल में लाने के लिये। हां रहने का उसको अधिकार नहीं है। फिर हमने भूमिधरों को आज जो अधिकार दिये हैं, यह कैसे ठीक हो सकता है कि छै महीने बाद उन अधिकारों को हम छीन लें। तो लोगों का माइन्ड रोजाना कदम-कदम पर अनसेटल्ड करके क्या आप समझते हैं कि इससे देश की तरक्की होगी? लोगों के माइन्ड में अगर सैक्योरिटी नहीं रहेगी तब तो फिर नेशनलाइजेशन आफ लैंड या और जिस तरह से दूसरे देशों के अन्दर है कि किसी आदमी को अपने अधिकारों की बाबत यह इत्मीनान न हो कि वह कब छीन सकता है, ऐसी बात आप भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं और जैसा मैंने कहा था कि इसमें कंस्टीटयूशन भी बाधक है। डी० एल० आर० ने बतलाया था कि अगर आप अधिकार लीजिये तो फिर उसके लिए मुआविजा दें। करोड़ों रुपया मुआविजा का देना पड़ेगा। मुआविजा जितना देना है वही कम नहीं है, काफी है। यह स्टेट कहां तक उसे बर्दाश्त कर सकती है इसको भी जो सोचना है। लेकिन जब कमिटमेंट है तब तो उसे देना ही है लेकिन और बोझ हम

क्यों लें ? लेकिन यह कहना कि आप खुद कोई ऐसी तरकीब निकालें कि ये जितने राइट दिये जा चुके हैं यदि ये न करें तो छिन जायं और साथ ही साथ उससे ज्यादा आमदनी हो, उचित नहीं मालूम होता है। जितने सार्वजनिक स्थान हैं वे गांव-सभा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिये जा चुके हैं। मैंने यह भी अर्ज किया था कि ज्यादातर आमदनी कैटल मारकेट से होती है और बाकी जो छोटी मोटी पेंठ लगती हैं उनसे कोई आमदनी नहीं होती। छोटी मोटी पेंठ जो लगती हैं वे गांव के गलिहारों में लगती हैं। वे तो गांव सभा की हो चुकीं। अगर गांव की बंजर भूमि है तो वह भी स्टेट की हो चुकी। ज्यादा मेले और बाजार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कब्जे में पहुंच चुके हैं। कुछ हैं जो जमींदारों के पास हैं। उनके बारे में मैं कहता हूं कि कैटल मारकेट ही है जिससे ज्यादा आमदनी होती है। मैंने पहले अर्ज किया था कि इस पर विचार हो रहा है कि कोई कैटल मारकेट रेगुलेशन ऐक्ट बनाया जाय जिससे उनका जो अधिकार है वह अधिकार तो सुरक्षित रहे लेकिन जो आमदनी होती है उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट को भी मिल सके। मैं कोई वादा नहीं करता हूं, कमिटमेंट नहीं करता हूं लेकिन हमारे मुहकमे में इस मसले पर विचार हो रहा है। इसके बावजूद भी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि हम लोग सार्वजनिक दृष्टि से विचार कर रहे हैं और आप व्यक्तिगत दृष्टि से कर रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है वह सार्वजनिक दृष्टि से नहीं है। मैंने कहा था कि सार्वजनिक दृष्टि से मैं उससे सहानुभूति रखता हूं।

**श्री राजनारायण**—प्राइवेट से कंफ्यूजन हो जाता है।

**श्री चरण सिंह**—अब यह बात कि जमींदारी कैसे एबालिशन हुई ? जमींदारी के माने क्या यह है कि किसी आदमी की दो हजार की आमदनी हो रही है तो वह जमींदारी है ? जमींदारी का माने केवल यह है कि लैंडलार्डिज्म। लैंडलार्ड और टिनेंट का रिश्ता, जमींदार और काश्तकार का नाता। वह तो उस कानून के अन्दर मिट गया। मैं इस बात की कोई डींग नहीं मारता। यह क़ानून हिन्दुस्तान भर में सब से रद्दी कानून ही आप समझें लेकिन लैंडलार्डिज्म का जो मतलब है वह यही है। श्री पद्मनाथ सिंह ने कहा कि इसके अन्दर पुरानी मनोवृत्ति है। जब जमींदारों को यह कहा जाता है कि वे जमींदार या भूमिधर अपने यहां मेला, बाजार, हाट वग़ैरह अपनी जमीन पर नहीं लगा सकें तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से यह मनोवृत्ति निकलती है। मनोवृत्ति तो उसमें यही है कि जमींदारी खत्म हो। जमींदारी का मतलब यह नहीं है कि किसी के पास अपने उपयोग के लिये जमीन न रहे। उसका कोई रिश्ता या लगाव न रहे। इस बात को कहा गया कि श्री सुरेश प्रकाश सिंह, श्री अवधेश प्रताप सिंह ने भी इस अमेंडमेंट का विरोध किया जैसा कि गवर्नमेंट ने किया। लिहाजा इसमें कोई गठबन्धन जरूर है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यह जो पहली तरमीम है, श्री गेंदा सिंह, श्री कमला सिंह, श्री ओंकार सिंह, श्री उम्मेदसिंह, राजा वीरेन्द्र शाह और श्री उमाशंकर के नाम से इन सब में चारों की तरमीम एक ही है कि खंड २ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय। इसके बाद और लीजिये, ऐसे ही मैंने निगाह डाली तो नं० ३८ और ३८—क की तरमीम जिसके लिये आपने नोटिस दी है, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री ओंकार सिंह, श्री उम्मेदसिंह और राजा वीरेन्द्र शाह और आगे चलिये नम्बर ४० पर राम नारायण त्रिपाठी जी का और ४१ पर श्री ओंकार सिंह जी का दोनों का है और इसमें जमींदार ही नहीं हैं जनसंघ के भी हमारे मित्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सम्बन्ध जायज है या नाजायज है।

**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि बहुत से संशोधन हम लोगों के सोशलिस्ट पार्टी से मिलते हैं तो मैं यह स्पष्ट

[राजा वीरेन्द्रशाह]

करना चाहता हूं कि जो जनहित में बात होगी उसमें हम आपके साथ भी होंगे और सोशलिस्ट पार्टी के भी साथ होंगे।

**श्री चरण सिंह**—मुझे और कोई बात अर्ज नहीं करनी है। मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६ के खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "धारा १८ की उपधारा (ए) के खंड (क) से (ग) तक में आने वाली भूमि पर लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न " निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१६
विपक्ष में—१४०।)

**श्री राजनारायण**—श्रीमन् आपकी व्यवस्था में इस पर चाहता हूं कि मिनिस्टर इंचार्ज इस क्लाज को मूव कर चुके हैं। यह सही है कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। लेकिन इस क्लाज को वह मूव कर चुके हैं और डिविजन काल होता है, डिवीजन काल होने के बाद जो घंटी बजती है, तो इसलिये बजती है कि जो सम्मानित सदस्य बाहर हों वे चले आयें। उस समय मिनिस्टर इंचार्ज उठ कर चले जाते हैं, जब कि वह क्लाज मूव कर चुके हैं। मूव करने के पहले तो वह दूसरे को दे सकते हैं जिम्मेदारी। लेकिन मूव होने के बाद जब डिवीजन काल हो तो उस पर मंत्री महोदय का बाहर चला जाना कांस्टीटयूशनली और नैतिक तरीके से यह साबित करता है कि मंत्री महोदय इस संशोधन के पक्ष में थे और विधेयक के विरुद्ध थे। तो जब कि मिनिस्टर इंचार्ज उस संशोधन के पक्ष में थे तो उसको पास होना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी वैधानिक आपत्ति नहीं है। मंत्री महोदय यहां आ भी गये थे।

**श्री ब्रजविहारी मिश्र** ( जिला आजमगढ़ )—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय।

"स्पष्टीकरण—इस उपखंड में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के, यदि वह किसी भूमि का भूमिधर , सीरदार, अधिवासी या आसामी हो, तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर वह वैसा उसका उपभोग कर रहा हो उसी प्रकार भूमि के और अधिक लाभप्रद उपयोग के लिये किसी सुविधा (easement ) या अन्य ऐसे ही अधिकार के उपभोग करते रहने के अधिकार पर न होगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मैंने इसलिये प्रस्तुत किया है कि दफा ४ जो सन् १९५१ के जेड ए० एफ० ऐक्ट १ है उसके अन्त में शब्द "इनकम्बरेंस" आया है और हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है कि "इनकम्बरेंस" इनक्लूड करता है "ईजमेंट" भी जिसका परिणाम यह हो रहा है अदालतों में कि बहुत से ऐसे आदमी जो "ईजमेंट" के तौर पर जिसे हक आसायश कहा गया है, हक प्राप्त किये हैं, उस पर भी अदालतों में हस्तक्षेप हो रहा है। इसलिये इस स्पष्टीकरण का होना आवश्यक है और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करेंगे।

**श्री चरण सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है, परन्तु बजाय यहां के यह धारा ७ के खंड (क) के पश्चात् नये खंड (कक) के रूप में आना चाहिये। और यह संशोधन इस प्रकार कर दिया जाय कि मूल अधिनियम की धारा (७) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (कक) बढ़ा दिया जाय—

"(कक) यदि वह किसी भूमि का भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो, तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर वह जैसा उसका उपभोग कर रहा हो उसी प्रकार भूमि के और अधिक लाभप्रद उपभोग के लिये किसी सुविधा (easement) या अन्य ऐसे ही अधिकार के उपभोग करते रहने का अधिकार"

तो इस संशोधन में से पहले के ये लफ्ज "इस उपखंड में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के" इनको निकाल दिया जाय और बाकी का संशोधन मुझे स्वीकार है। इससे जो कानूनी दिक्कत बतलाते हैं वह दूर हो जायगी।

**श्री ब्रजविहारी मिश्र**—मुझे स्वीकार है।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम की धारा ७ के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (कक) बढ़ा दिया जाय—

"(कक) यदि वह किसी भूमि का भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर वह जैसा उसका उपभोग कर रहा हो उसी प्रकार भूमि के और अधिक लाभप्रद उपभोग के लिये किसी सुविधा (easement) या अन्य ऐसे ही अधिकार के उपभोग करते रहने का अधिकार"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि सदन के निश्चय के अनुसार समय समाप्त हो गया।

(इसके बाद सदन ४ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
७ जनवरी, १९५३।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९, १० का उत्तर पीछे पृष्ठ१६४ पर)

### तालिका

| क्रम-संख्या | कौन-कौन सरकारी अस्पताल हैं | कौन-कौन सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल हैं | कौन- कौन सरकारी अनुदान प्राप्त अस्प-ताल हैं | मुफ्त दवाई बांटने के लिये प्रति वर्ष कितनी रक़म दी जाती है | प्रति वर्ष कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन में कितना व्यय होता है | महंगाई भत्ते में कितना व्यय होता है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | | | एलोपैथिक | | | |
| १ | सदर अस्पताल आज़मगढ़ | | | ७,०२० | १६,०२० | ५,३४० लगभग |
| २ | सदर जनाना अस्पताल आज़मगढ़ | | | ४,७०० | ११,७०० | ३,९०० ,, |
| ३ | खरेवां | | | ९०० | ३,४२० | १,२०० ,, |
| ४ | अतरौलिया | | | ९०० | ३,४२० | १,२०० ,, |
| ५ | फूलपुर | | | ९०० | ३,४२० | १,२०० ,, |
| ६ | रसूलपुर | | | ९०० | ३,४२० | १,२०० ,, |
| ७ | सनरौरा | | | ९०० | ३,४२० | १,२०० ,, |
| ८ | परसरामपुर | | | ९०० | ३,४२० | १,२०० ,, |
| ९ | अज़मतगढ़ | | | ९०० | ३,४२० | १,२०० ,, |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (१) घोसी | ५३० | २,२०८* | | स्थानीय बोर्ड के डी० ए० रेट्स विदित नहीं। बोर्ड ही अपने खर्च से देते होंगे। सरकार महंगाई के लिये कोई रुपया नहीं देती। |
| (२) कजदा | ५३० | २,२०८* | | |
| (३) मुबारकपुर | ५३० | २,२०८* | | |
| (४) मेनाजपुर (स्थानीय जिला बोर्ड के अस्पताल) | ५३० | २,२०८* | | |

## आयुर्वेदिक एवं यूनानी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १ कमल सागर (आयुर्वेदिक) | ५०० | १,९८९ | लगभग | ७८० |
| २ ठेकमा ,, | ५०० | १,९८९ | ,, | ७८० |
| ३ कर्मी ,, | ५०० | १,९८९ | ,, | ७८० |
| ४ गोकुलपुरा ,, | ५०० | १,९८९ | ,, | ७८० |
| ५ महराजगंज ,, | ५०० | १,९८९ | ,, | ७८० |
| ६ सिपाह ,, | ५०० | १,९८९ | ,, | ७८० |
| ७ ढीहपुर ,, | ५०० | १,९८९ | ,, | ७८० |

*११०४ रुपया सालाना सरकार देती है शेष बोर्ड खर्च करता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रम संख्या | कौन-कौन सरकारी अस्पताल हैं | कौन-कौन सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल हैं | कौन-कौन सरकारी अनुदान प्राप्त अस्पताल हैं | मुफ्त दवाई बाँटने के लिये प्रति वर्ष कितनी रकम दी जाती है | प्रतिवर्ष कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन में कितना व्यय होता है | मंहगाई भत्ते में कितना व्यय होता हैं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | बांसगांव | आयुर्वेदिक | | ५०० | १,९८९ लगभग | ७८० |
| ९ | रोनापुर | ,, | | ५०० | १,९८९ ,, | ७८० |
| १० | कोपागंज | ,, | | ५०० | १,९८९ ,, | ७८० |
| ११ | मुहम्मदपुर | (यूनानी) | | ५०० | १,९८९ ,, | ७८० |
| १२ | कोयल्सा | ,, | | ५०० | १,९८९ ,, | ७८० |
| १३ | मेहनगर | ,, | | ५०० | १,९८९ ,, | ७८० |
| | | | (१) लालघाट (आयुर्वेदिक) | १८० | ८५६* ,, | |
| | | | (२) जहानागंज (यूनानी) | १८० | ८५६* ,, | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | |
|---|---|---|---|
| (१) गयादीन आयुर्वेदिक औषधालय खुराही | ६०० दवा आदि १९५१–५२ में | ** | *इसमें से ४२७।।) सरकार द्वारा दिया जाता है। |
| (२) श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक फार्मेसी अम्बारी | २०० ,, | | |
| (३) हकीम मंजूर अहमद बुनरनशौ गई | २४० ,, | | |
| (४) स्कीम मुस्तफा अहमद बिडवला | २४० ,, | | |

**इन संस्थाओं को आवर्तक अनुदान नहीं दिये जाते, बल्कि उप-संचालक (आयुर्वेद) के समर्थन पर कुछ रक़म दवा बांटने आदि के लिए दी जाती है।

कुल सालाना दवाओं में ख़र्च २८,२८०)

कुल सालाना वेतन और महंगाई भत्ते में ख़र्च १,१४,११२ इसमें से १,०९,६९६) सरकार द्वारा ख़र्च होता है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५५ एल० ए०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा